

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



श्रम संगम

वर्ष: 7, अंक: 2

जुलाई-दिसम्बर 2021



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान


वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ-साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।




अवार्ड्स डाइजेस्ट: श्रम विधान का जर्नल



अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।


श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय-समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारीक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ-साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।



चंदे की दर: लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी-दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजे:

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301, उत्तर प्रदेश



मुख्य संरक्षक

डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल

डॉ. संजय उपाध्याय
सीनियर फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 7, अंक: 2, जुलाई-दिसम्बर 2021

अनुक्रमणिका

○ महानिदेशक की कलम से	ii
○ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर': व्यक्तित्व एवं कृतित्व - बीरेन्द्र सिंह रावत	1
○ राजभाषा सम्मान	4
○ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सपनों का भारत - राजेश कुमार कर्ण	5
○ कोविड महामारी के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का महत्व - डॉ. मनोज जाटव	8
○ माना कि आज की नारी है सशक्त नारी (कविता) - रुचिका चौहान	10
○ दोस्त को श्रद्धा सुमन (कविता) - डॉ. एलीना सामंतराय	11
○ वीर सपूतों की गाथा (कविता) - सतीश कुमार	12
○ इक्कीसवीं सदी के जननायक (कविता) - प्रकाश मिश्रा	12
○ युवा क्रांतिकारी मदन लाल दीगरा - सुधा वोहरा	13
○ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा - 2021का आयोजन	15
○ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रचनाकारों का योगदान - राजेश कुमार कर्ण	16
○ पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन - गीता अरोड़ा	25
○ जलवायु परिवर्तन समझौते और भारत की प्रतिबद्धता - बीरेन्द्र सिंह रावत	28
○ हिंदुस्तान हमारा है (कविता) - सतीश कुमार	32
○ परछाईं पिता की (कविता) - मंजू सिंह	33
○ खुशहाल भारत की ओर बढ़ते कदम - राजेश कुमार कर्ण	34
○ हार की जीत (कहानी) - सुदर्शन	10
○ राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन	42

महानिदेशक की कलम से...



✍ किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। भाषायी रूप से भारत एक बेहद समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ की भाषाएं अलग-अलग सामाजिक अस्मिताओं के प्रकटीकरण का माध्यम होने के साथ-साथ सांस्कृतिक रूप से भी सभी एक दूसरे की ताकत हैं। भाषाओं के इस विविधतापूर्ण परिवेश में हिंदी का एक विशिष्ट स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में जहाँ यह जन-जन की संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय हुई, वहीं दक्षिण भारत में सी. राजगोपालाचारी एवं अन्य हिंदी विद्वानों ने इसे 'दक्षिण भारत हिंदी समिति' के कार्यकलापों के माध्यम से वहाँ के लोगों तक पहुंचाया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रशंसनीय कार्य किया। राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गाँधी जैसे अनेक विभिन्न भाषा-भाषी महान स्वतंत्रता सेनानियों की कोशिश यही होती थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने वाले जितने भी आंदोलन हों, वे हिंदी में ही जाने जाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का बहुत बड़ा महत्व रहा।

आज जब देश में स्वतंत्रता का 75वाँ वर्ष 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मनाया जा रहा है, ज्ञात-अज्ञात सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम सब सारे कार्य राजभाषा हिंदी में करने का संकल्प लें। यह, न केवल उन सब महान आत्माओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अपितु इससे हमें राजभाषा हिंदी के विकास संबंधी अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

'श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

एच श्रीनिवास
(डॉ. एच. श्रीनिवास)

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' : व्यक्तित्व एवं कृतित्व

बीरेंद्र सिंह रावत*



आधुनिक युग में अपने साहित्य सृजन के माध्यम से राष्ट्रीयता का उद्घोष करने वाले भारत के कवियों में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले रामधारी सिंह 'दिनकर' हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। वह आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 'दिनकर'

स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद 'राष्ट्रकवि' के नाम से जाने गये। जिस समय उन्होंने काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय अंग्रेजों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी, उनका दमन-चक्र प्रचंड बेग से चल रहा था और इसकी प्रतिक्रिया में समग्र राष्ट्र विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए अत्यंत व्याकुल था। जगह-जगह सत्याग्रह, धरने हो रहे थे। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जागृति की अपूर्व लहर दौड़ रही थी। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप दिनकर के काव्य में राष्ट्रप्रेम की भावनाएं स्वतः मुखरित होने लगीं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों से एकाकार होकर राष्ट्रप्रेम, स्वतंत्रता तथा बलिदान के गीत गाए और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया।

व्यक्तित्व

'दिनकर' जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गाँव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। दिनकर दो वर्ष के थे, जब उनके पिता जी का देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई-बहनों का पालन-पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फँसे खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा।

संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गाँव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में 'राष्ट्रीय मिडिल स्कूल' जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिस्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने 'मोकामाघाट हाई स्कूल' से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक करने के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बी. ए. ऑनर्स किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था।

बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह एक विद्यालय में अध्यापक हो गये। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब-रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। इसी दौरान उनकी रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ-वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को यह समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी, बात-बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियाँ मिला करतीं। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद-सदस्य रहे, बाद में उन्हें सन 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिन्दी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए।



*वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उन्हें, उनकी पुस्तक *संस्कृति के चार अध्याय* के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा *उर्वशी* के लिये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना *महाभारत* पर आधारित उनके प्रबन्ध काव्य *कुरुक्षेत्र* को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वाँ स्थान दिया गया।

रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित-अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ने ये पंक्तियाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था, इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से वे नहीं चूके।

देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है।

*जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो,
समझो उसी ने हमें मारा है।।*

हिंदी के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले दिनकर हिंदी भाषा का अनादर होते देख काफी विचलित हो जाते थे। एक बार फिर पंडित नेहरू को उनके कोप का भाजन बनना पड़ा। यह किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले। उन्होंने कहा – देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है, तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं, तेरह भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किन्तु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि सोलह करोड़ हिंदीभाषियों को रोज अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। ठसाठस भरी सभा में भी गहरी सन्नाटा छा गया। यह मुर्दा-चुप्पी तोड़ते हुए दिनकर ने फिर कहा— 'मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुँचती है।'

कृतित्व

दिनकर के काव्य को ऐतिहासिक दृष्टि से दो वर्गों में रखा जा सकता है: स्वातंत्र्य-पूर्व का काव्य और स्वातंत्रोत्तर काव्य। स्वतंत्रता से पूर्व उनके काव्य में हम उन्हें ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान तथा स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करते पाते हैं। स्वतंत्रता-पूर्व उनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताओं में निम्नलिखित स्वर प्रमुख हैं: 1) पराधीनता और बेबसी की पीड़ा: दिनकर पराधीनता की श्रृंखलाओं में जकड़े देशवासियों की पीड़ा को जानते थे, उनकी विवशता और असहाय स्थिति को देखकर क्षुब्ध थे। उन्होंने समय की पुकार पर ध्यान दिया और पाठकों को देश की दुर्दशा से अवगत कराया, ताकि वे जागें और कुछ करें। यह कार्य उनसे पहले भारेतंदु हरिश्चंद्र भी कर चुके थे, पर जहाँ भारेतंदु के स्वर में केवल हाहाकार था, वहाँ दिनकर ने पाठकों को बलिदान करने के लिए ललकारा।

*श्रृंग छोड़ मिट्टी पर आया, किंतु कहो क्या गाऊँ मैं
जहाँ बोलना पाप, वहाँ क्या गीतों में समझाऊँ मैं
विधि का शाप सुरभि सांसों पर लिखूँ चरित मैं क्यारी का
चौराहे पर बंधी जीभ से मोल करूँ चिनगारी का?*

2) ब्रिटिश-शासन का विरोध: बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र एवं सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था, जिसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं था। यही ब्रिटिश सत्ता भारत को दमन और शोषण की आग में जलाकर राख कर रही थी। उस समय देशभक्त आंदोलनकारियों का ध्यान केवल एक बिंदु पर टिका था— देश को ब्रिटिश-शासन से मुक्त कराना। काव्य-क्षेत्र में पदार्पण करते ही दिनकर ने भी अपने काव्य में इसी लक्ष्य को अपनाया और ब्रिटिश-शासन का तीव्र विरोध किया। उन्होंने अपनी रचना *हुंकार* की अनेक कविताओं में ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध अपना क्षोभ और आक्रोश व्यक्त किया। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की अनाचारपूर्ण नीति और दमन-शोषण से क्षुब्ध होकर कवि विदेशी सत्ता के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हो जाता है।

*सोख लूं बन कर जिसे अगस्त्य, कहाँ बाधक वह सिंधु अथाह?
कहो, खांडव वन वर किस ओर, आज करना है जिसका दाह?
फोड़ पैदूँ अनंत पाताल, लूट लाऊँ वासव का देश
चरण पर रख दूँ तीनों लोक, स्वामिनी करो शीघ्र आदेश।*

3) स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन: यद्यपि दिनकर ने महात्मा गाँधी की अहिंसा नीति, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह को असफल होते देख, उनके प्रति निराश होकर उनका विरोध किया है, पर वह चाहते थे कि संघर्ष निरंतर चलता रहे, देशवासी चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर न बैठें। अतः, जब भी उन्होंने यह महसूस किया आंदोलनों

की गति मंद पड़ रही है, उनका वेग शिथिल हो रहा है, वह पुनः आंदोलन करने और उसे तीव्र बनाने का आह्वान करते हैं। हाँ, उनकी दृष्टि साधन से अधिक साध्य पर है। साध्य है स्वतंत्रता और उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। उनके लिए विद्रोह और क्रांति धर्म के प्रतीक हैं, दासत्व को मौन भाव से सहना घोर अधर्म है।

*टांक रही हो सुई चर्म पर, शांत रहें हम तनिक न बोलें
यही शांति गर्दन काटती हो, पर हम अपनी जीभ न खोलें
बोलें कुछ में मुधित रोटियां, श्वान छीन जाए यदि कर से
यही शांति, जब वे आएँ हम, निकल जाएँ चुपके निज घर से?*

दिनकर को क्रांति की अजेय शक्ति पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि क्रांति की पद-चाप सुनते ही ब्रिटिश सरकार हिल उठेगी। वह संहारक, ध्वंसकारी शक्ति नहीं है, मानव का कल्याण और उद्धार करने वाला ईश्वर का वरदान है। वह मृतप्रायः जाति में तेज, ओज, वीरता का संचार करती है।

मैं निस्तेजों को तेज, युगों के मूक मौन की वाणी हूँ
दिल-जले शासितों के दिल की मैं जलती हुई कहानी हूँ
सदियों की जब्ती तोड़ जागी मैं उस ज्वाला की रानी हूँ।

अतः दिनकर ने विस्फोट करने वाली क्रांति का आह्वान किया और उसका स्तवन-नमन भी।

*जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुरबानी
जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्यौहार
नमन उन्हें मेरा शत बार।*

‘दिनकर’ ने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का तानाबाना दिया। उनकी महान रचनाओं में *रश्मिरथी* और *परशुराम की प्रतीक्षा* शामिल है। *उर्वशी* को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएँ वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है।

ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना *उर्वशी* की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और सम्बन्धों के इर्द-गिर्द घूमती है। *उर्वशी* स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। महाभारत की कथा पर आधारित और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया *कुरुक्षेत्र* उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। इस रचना में उन्होंने स्थायी शांति के लिए युद्ध की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। इसमें उन्होंने महात्मा गाँधी के अहिंसा एवं क्षमा के सिद्धांत का खंडन करते हुए लिखा है:

*क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो
उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत सरल हो।*

‘दिनकर’ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य *रश्मिरथी* महाभारत के दानवीर कर्ण के चरित्र पर आधारित है। यद्यपि उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी कर्ण के चरित्र को उभारने का प्रयास किया था, लेकिन उससे संतुष्ट न होकर अलग से कर्ण को नायक बनाकर इन्हें *रश्मिरथी* की रचना आवश्यक लगी। इस संबंध में ‘दिनकर’ ने स्वयं लिखा है कि ‘कर्ण-चरित्र का उद्धार’ एक तरह से नयी मानवता की स्थापना का ही प्रयास है। सूत-पुत्र कर्ण के चरित्र द्वारा उन्होंने समाज द्वारा प्रताड़ित शूद्रों और दलितों के बीच नयी चेतना जगाते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सावधान किया है। दिनकर ने *परशुराम की प्रतीक्षा* की रचना भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान के मध्य युद्ध की पृष्ठभूमि पर की है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए भारतीय जनता के शौर्यभाव को जगाने के लिए अत्यंत ओजभाव से युक्त वाणी का प्रयोग किया है। *सामधेनी* की रचना कवि के सामाजिक चिन्तन के अनुरूप हुई है। *संस्कृति के चार अध्याय* में दिनकर ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषायी और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है। क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी, हमारी सोच एक जैसी है।

कृतियाँ

काव्य कृतियाँ: बारदोली-विजय संदेश (1928), प्रणभंग (1929), रेणुका (1935), हुंकार (1938), रसवन्ती (1939), द्वंद्वगीत (1940), कुरुक्षेत्र (1946), धूप-छाँह (1947), सामधेनी (1947), बापू (1947), इतिहास के आँसू (1951), धूप और धुआँ (1951), मिर्च का मजा (1951), रश्मिरथी (1952), दिल्ली (1954), नीम के पत्ते (1954), नील कुसुम (1955), सूरज का ब्याह (1955), चक्रवाल (1956), कवि-श्री (1957), सीपी और शंख (1957), नये सुभाषित (1957), लोकप्रिय कवि दिनकर (1960), उर्वशी (1961), परशुराम की प्रतीक्षा (1963), आत्मा की आँखें (1964), कोयला और कवित्व (1964), मृत्ति-तिलक (1964), दिनकर की सूक्तियाँ (1964), हारे को हरिनाम (1970), संचियता (1973), दिनकर के गीत (1973), रश्मिलोक (1974), उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएँ (1974)।

गद्य कृतियाँ: मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृति के चार अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश-विदेश 1957, राष्ट्र-भाषा और राष्ट्रीय एकता 1955, काव्य की भूमिका 1958, पंत, प्रसाद और मैथिलीशरण 1958, वेणुवन 1958, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969, वट-पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्य-मुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और


गांधीजी 1968, हे राम! 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएँ 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973, आधुनिक बोध 1973।

सम्मान

‘दिनकर’ को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के चार अध्याय के लिये उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्ट्रेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिये चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य-चूडामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिये उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया।

कहा जाता है कि कवि कविता लिखता है आत्माभिव्यक्ति के लिए, अपनी अनुभूति, अपने विचारों को प्रकट करने

के लिए। साथ ही वह चाहता है कि उसकी अनुभूतियों और विचारों से दूसरे लोग प्रभावित हों। इस दृष्टि से दिनकर सच्चे अर्थों में एक महान कवि हैं। इस पर दो राय नहीं हो सकती कि ‘दिनकर’ आधुनिक कवियों की प्रथम पंक्ति में बैठने के अधिकारी हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से देशहित और समाज के उत्थान की बात पुरजोर तरीके से रखने वाले ‘दिनकर’ पूरे देश में काफी लोकप्रिय हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ‘दिनकर अहिंदी-भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे।’ हरिवंश राय बच्चन ने कहा था ‘दिनकर को एक नहीं, बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी-सेवा के लिये अलग-अलग चार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये जाने चाहिये।’ रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था ‘दिनकर ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया।’ नामवर सिंह ने कहा है ‘दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे।’ प्रसिद्ध साहित्यकार राजेन्द्र यादव ने कहा था कि दिनकर की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। प्रसिद्ध रचनाकार काशीनाथ सिंह के अनुसार ‘दिनकर राष्ट्रवादी और साम्राज्य-विरोधी कवि थे।’ हिंदी साहित्य जगत की ऐसी अनुपम विभूति को आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर शत-शत नमन।



राजभाषा सम्मान

वर्ष 2019-20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी के तहत ‘क’ क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर 14 सितंबर 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वितरित किए गए।



श्री अजय कुमार मिश्रा, माननीय गृह राज्य मंत्री और श्री निशिथ प्रामाणिक माननीय गृह राज्य मंत्री से पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सपनों का भारत

राजेश कुमार कर्ण*



सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। सम्पूर्ण विश्व में श्रद्धा-विश्वास और सम्मान के साथ नेताजी की उपाधि पाने वाले सुभाष चन्द्र बोस की देशभक्ति का आदर्श आज भी हमें प्रेरित और उत्साहित करता है और आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह भाव

विभोर करता रहेगा। भारत को स्वतंत्र कराने का एकमात्र उद्देश्य लेकर चलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस स्तर का सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने पराक्रम और पूरी सूझ-बूझ से ब्रिटिश शासन से त्रस्त देशों के साथ योजनाएं बनाईं और बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार को अंततः भारत को आजाद करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में नेताजी का नाम सदा के लिए अमर रहेगा। वे शौर्य एवं पराक्रम की मिसाल थे। शौर्य और पराक्रम का पहला संदेश प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के किनारे खड़े होकर दिया था। जब वे अपनी सेनाओं को लेकर तीन दिन तक समुद्र के किनारे खड़े हुए थे किंतु समुद्र ने उन्हें तीन दिन तक रास्ता नहीं दिया था तो उनके अनुयायियों ने कहा कि समुद्र आपकी बात नहीं मान रहा है, रावण तो इससे कई गुणा ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर रावण का सामना आप कैसे करेंगे तो प्रभु श्री राम वहां एक संदेश देते हैं "विनय न मानत जलधि जड, गए तीनि दिन बीति, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति। रामायण की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आग्रह से काम न बने तो भय से काम निकाला जा सकता है। नेताजी इसी रास्ते पर चले।

देश के लिए सब कुछ कर गुजरने की भावना क्या-क्या करा सकती है, इसकी एक अनोखी मिसाल हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके लिए देश की स्वाधीनता के लक्ष्य के आगे सब कुछ छोटा पड़ता गया। उन्होंने उसकी राह में आने वाली हर मुश्किल को पार किया, बिना इसकी परवाह किए कि उसके लिए क्या-क्या खोना पड़ सकता है। अत्यंत मेधावी सुभाष बाबू स्वामी विवेकानन्द जी के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित थे।

1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से वह इतने विचलित हुए कि ब्रिटेन में अपना अध्ययन-प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। उनके जीवन की दिशा ही

बदल गई। वे अंग्रेजी शासन का पुरजोर विरोध करने लगे। उन्हें भारत की स्वाधीनता से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। वह 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों की फांसियों को लेकर बहुत व्यथित हुए। भगत सिंह एवं साथियों को न बचा पाने के कारण उनका गांधीजी से मतभेद हो गया। वह जब यूरोप गए तो उन्होंने सांस्कृतिक-राजनीतिक संबंध विस्तृत करने के लिए विभिन्न यूरोपीय राजधानियों में केंद्र खोले। 1936 में वे यूरोप से लौटे। 1937 के कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। अगले अधिवेशन में वह गांधी जी समर्थित पट्टाभिसितारमैया के विरुद्ध चुनाव लड़कर विजयी हुए और कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन दिनों कांग्रेस में नरम और गरम दो प्रकार के नेता हुआ करते थे। नेताजी गरम दली माने जाते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में नेताजी प्रस्ताव लाए कि अंग्रेज सरकार छह महीने में भारत को भारतीयों के हवाले करे, अन्यथा उसके खिलाफ विद्रोह होगा। चूंकि गांधीजी इस विचार के समर्थन में नहीं थे तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महसूस किया कि शांतिपूर्वक तथा आग्रह करके आजादी हासिल नहीं हो सकती बल्कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए कड़ाई से लड़ना होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए 'फारवर्ड ब्लॉक' नाम का अलग दल बनाया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, बल्कि ली जाती है। जो लोग देश के लिए बलिदान देना चाहते हैं उसके



खूनी हस्ताक्षर नेताजी ने करावये थे, जो अपने आप में एक बड़ा अभियान था। उससे भावनात्मक रूप से जो लोगों के अंदर देशभक्ति का ज्वार उमड़ा था, वह अपने आप में अनुभव करने की चीज रही होगी। उनके उत्साह, सूझ-बूझ और बेमिसाल योजना के कार्यान्वयन से अंग्रेजी सरकार कांपने लगी। अंग्रेजी सरकार से खिलाफत के कारण उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया, परंतु वह देश की स्वाधीनता को लेकर व्याकुल थे। एक दिन ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर वह देश की मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुहिम पर निकल पड़े। यह देश के एक सच्चे सिपाही का एक जोखिम और अनश्चित भरा बड़ा महात्वाकांक्षी कदम था। वे वेश बदलकर फरार हो गये और काबुल होते हुए मास्को पहुंचे और समर्थन पाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। फिर अप्रैल में जर्मनी पहुंचे और जर्मनी का समर्थन पाने का यत्न किया

* आशुलिपिक ग्रेड-II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

और इसमें सफल रहे। जर्मनी में उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक अच्छा जनरल साबित हुए। जनवरी 1942 से रेडियो बर्लिन जर्मन समर्थित आजाद हिंद रेडियो से अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में रेडियो ब्राडकास्ट शुरू हुआ। रेडियो जर्मनी से उन्होंने भारतीयों के नाम अपना प्रसिद्ध संदेश दिया था “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।”

दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी आक्रमण के एक साल बाद वह मई 1943 में टोकियो पहुंचे और पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली। पूर्वी एशिया में जापानी समर्थन से अस्थायी भारत सरकार भी गठित की, जिसे सात देशों की मान्यता भी मिली। पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और बाद में 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने इस फौज का नेतृत्व सुभाष बाबू को सौंप दिया। इसके साथ ही नेताजी को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी घोषित कर दिया गया। नेताजी ने “जय हिंद” का नारा दिया जिसका शाब्दिक अर्थ है “भारत की विजय”। नेताजी द्वारा यह नारा आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया था। अब भी भारत में यह देशभक्तिपूर्ण नारा बहुत प्रचलित है। उन्होंने भारत की ओर कूच किया और उनके कुशल नेतृत्व में उत्साह से भरकर उनकी सेना ने मणिपुर और इम्फाल के मोर्चा तक ब्रिटिश साम्राज्य के छक्के छुड़ाए। इस फौज ने अंडमान निकोबार को स्वतंत्र कराया। बर्मा एवं मलाया तक अंग्रेजों को पराजित कर भगाया।

वर्ष 1944 में उन्होंने रंगून को मुख्यालय बनाया। 6 जुलाई 1944 के ऐतिहासिक रेडियो प्रसारण में नेताजी ने कहा था कि जब तक आखिरी ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता और जब तक दिल्ली में वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा शान से नहीं लहराता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। शौर्य और अदम्य पराक्रम से भरी नेताजी की गाथा बहुत रोमांचक है। किंतु भारतीय सेना जापानी सेना के हवाई समर्थन के अभाव में हार गई। आजाद हिंद फौज का अस्तित्व जापान की हार के साथ काल-कवलित हो गया। अगस्त 1945 में जापान ने समर्पण कर दिया। बदलते घटनाक्रम के बीच 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर आई किंतु बहुतों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उनके बचे होने की कहानियां हवा में तैरती रहीं, पर इतना तो सबको लगता है कि स्वतंत्रता के धर्मयुद्ध में देश की स्वाधीनता के विराट प्रयोजन के लिए नेताजी एक-एक कर सब कुछ समर्पित करते गए। वह सही अर्थों में सच्चे नेता थे, जो सबको साथ लेकर चलने के लिए उद्यत थे और निस्पृह रूप से खुद चलकर राह दिखाते थे। उनका अपना कुछ न था, पर वे समूचे भारत के थे।

प्रोफेसर कपिल कुमार ने ठीक ही लिखा है कि विश्व इतिहास में किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा व्यक्तित्व शायद ही मिलेगा, जिसने न केवल राजनीतिक

तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि खुद एक सैनिक की वर्दी पहनकर उस सेना का गठन किया जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए और पंद्रह हजार वर्ग मील क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कर अंडमान और पूर्वी भारत में आजाद हिंद सरकार की सत्ता स्थापित की। यही नहीं, उन्होंने कमांडर इन चीफ के रूप में नेतृत्व संभालते हुए युद्ध के मोर्चों पर सैनिकों को प्रोत्साहित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज से संबंधित बहुत से तथ्यों के ऊपर चादर डाल दी गई थी पर वह इतिहास अब सामने आ रहा है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों से नेताजी ने कहा था कि यही सेना आजाद भारत की भी सेना होगी। दुर्भाग्यवश सरदार पटेल, कई अन्य नेताओं और जनता की इच्छा के विरुद्ध पंडित जवाहर लाल नेहरू ने माउंटबेटन के कहने पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत की सेना में नहीं लिया।

अंग्रेजों और कुछ कम्युनिस्टों ने आजाद हिंद फौज और नेताजी के संदर्भ में ऐसा प्रचार किया कि वे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह के पिट्टू हैं और भारत पर जापानियों का शासन लाना चाहते हैं। जब नेताजी द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो यहां के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने उन्हें गद्दार तक कहा किंतु वे विचलित नहीं हुए। वे क्रांति के पथ पर चलते रहे, उनके शौर्य, पराक्रम, उत्साह, सूझबूझ और बेमिसाल योजना के कार्यान्वयन से अंग्रेजी सरकार कांपने लगी थी। किंतु खुद पंडित नेहरू ने असम जाकर भाषण दिया कि यदि नेताजी जापानियों को लेकर आजाद हिंद फौज के साथ आते हैं तो खुद तलवार लेकर उनका मुकाबला करूंगा। वे यह भूल गए कि जापानी फौज के साथ जब आजाद हिंद फौज ने बर्मा की तरफ से भारत की ओर कूच किया था तब नेताजी ने जापानियों से एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत भारत के जितने प्रदेशों से अंग्रेजों से मुक्त कराया जाएगा, वहां कहीं भी जापान का झंडा नहीं लगेगा। साथ ही उनका शासन जापान द्वारा नहीं बल्कि नेताजी द्वारा बनाए गए आजाद हिंद दल के प्रशासकों द्वारा किया जाएगा। जिस जर्मनी, जापान और इटली की मदद नेताजी ने ली उन देशों ने कभी भारत का शोषण नहीं किया था बल्कि हमेशा भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की थी। नेताजी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका उद्देश्य केवल भारत माँ की बेड़ियों को काटकर देश को स्वतंत्र कराना था। इसके लिए जहां से भी मदद मिल सकती हो, वे ले रहे थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि जापानी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जापानी यह कभी नहीं चाहते थे नेताजी आजाद हिंद बैंक बनाएं। किंतु उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद आजाद हिंद सरकार दुनिया की अकेली ऐसी सरकार थी जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया। नेताजी का अंतिम आदेश था कि हम लोग

बिखर रहे हैं और शीघ्र ही देश की स्वतंत्रता के लिए दोबारा लामबंद होंगे। 18 अगस्त, 1945 के बाद नेताजी अदृश्य हो गए, लेकिन अधिकांश लोग यह मानते हैं कि न तो कोई हवाई दुर्घटना हुई और न ही उसमें उनकी मृत्यु हुई। आज भी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। नेताजी से संबंधित कोई भी कहानी अब धूमिल नहीं रहने वाली है, सच से पर्दे धीरे-धीरे उठने लगे हैं। नेताजी हर भारतीय के हृदय में आज भी जीवित हैं।

नेताजी के बारे में देश में लोग यह मानते हैं कि नेताजी अगर होते तो देश में इतनी समस्याएं नहीं होतीं, न देश का बंटवारा होता, न जाति-धर्म का दंश हमें झेलना पड़ता, न महिलाओं के प्रति इतने जुल्म व लैंगिक असमानता होती और न देश में इतनी गरीबी-बेरोजगारी होती क्योंकि उनके पास एक वृहत विजन था। उन्होंने देश की समस्याओं का बखूबी अध्ययन किया था। समस्याएं तो रामायण, महाभारत के समय से ही हैं लेकिन बेशक नेताजी होते तो स्थिति बेहतर जरूरी होती। हम सब अभी तक नेताजी के सपनों का भारत नहीं बना पाए हैं, कुछ सफलताएं मिली हैं पर कुछ समस्याएं, चुनौतियां अभी भी शेष हैं।

नेताजी स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसी नौकरशाही बनाना चाहते थे जो भारतीयता से प्रेरित हो और इसी संदर्भ में उन्होंने आजाद हिंद दल का गठन किया था। जिन-जिन प्रदेशों को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया गया, उनका प्रशासन आजाद हिंद दल के लोगों ने ही संभाला था। भारत के औद्योगिकरण और विकास के लिए पहली प्लानिंग कमेटी का निर्माण नेताजी ने वर्ष 1938 में किया था। इसके लिए उन्होंने मेघनाद साहा और साराभाई जैसे वैज्ञानिकों की मदद ली थी। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी ने यह साबित कर दिया था कि भारत, भारत है, भारतीय, भारतीय हैं और आजाद हिंद सरकार थी अखंड भारत की सरकार।

नेताजी द्वारा निर्मित आजाद हिंद सरकार में जाति, धर्म या क्षेत्र जैसा कोई भेदभाव नहीं था। इस सरकार में सभी पंथ, मत, संप्रदाय, जाति के लोग शामिल थे। संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए नेताजी को कोई संगठित आंदोलन नहीं करना पड़ा। वे जैसा सोचते थे, वैसा उन्होंने करके दिखाया। आजाद हिंद फौज के सैनिक एक साथ खाना खाते थे।


नेताजी द्वारा आधुनिक युग की सबसे पहली महिला रेजिमेंट खड़ी करना भारत की उस नारी शक्ति का प्रतीक था जो कि समय-समय पर देश के लिए लड़ी है। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट ने इस मिथ्या धारणा को तोड़ दिया था कि भारतीय नारी केवल घर तक ही सीमित है। रानी झांसी रेजिमेंट ने तीन मोर्चों पर युद्ध लड़े। किस प्रकार इन वीरांगनाओं ने परिवारों को छोड़कर देश के लिए खुद को अर्पित किया, ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। किस तरह एक मां लीलावती मेहता अपनी दोनों बेटियों रमा और नीलम मेहता के साथ



रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होती है, जानकी थेवर नामक एक 17 साल की किशोरी नेताजी का भाषण सुनती है और वहीं अपने आभूषण उतारकर सेना में शामिल हो जाती हैं, गुजरात की महिला गीता बटई रंगून में अपने 50 लाख रुपए के आभूषण आजाद हिंद फौज को दे देती हैं। ऐसे न जाने कितने त्याग और बलिदान के उदाहरण नेताजी की अपील पर सामने आते हैं।

शंघाई में आजाद हिंद फौज का पूरा ट्रेनिंग कैंप था। शंघाई का गुरुद्वारा आजाद हिंद सरकार का गढ़ था। वर्ष 1944 में 2000 सिख परिवार आजाद हिंद फौज में शामिल होने बर्मा (अब म्यांमार) पहुंचे थे। रानी झांसी रेजिमेंट की 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं तमिलनाडु से गई कुली महिलाएं थीं। यही नहीं, वहां के बागानों में काम करने वाले तमिल मजदूरों की पूरी प्लाटून नेताजी ने खड़ी कर दी थी, जिन्होंने इंफाल की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूसूफ मफरानी नेताजी को एक करोड़ रुपए देते हैं और बदले में उनसे सिर्फ आजाद हिंद फौज की वर्दी मांग लेते हैं। मलाया के अंदर दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले दिनभर मेहनत करके जो कमाते थे, वे शाम को आजाद हिंद फौज को दे जाते थे। बर्मा और थाइलैंड में गवाले अपनी गाय और भैंस लेकर आजाद हिंद फौज के पास पहुंच जाते थे कि हमारे पास और कुछ नहीं है, हम फौज के साथ चलेंगे और उन्हें दूध पिलाएंगे। बैंकाक में सरदार इशर सिंह 100 किलो चांदी आजाद हिंद सरकार को देते हैं। भैया नाथ तिवाड़ी 20 एकड़ जमीन आजाद हिंद फौज का ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए देते हैं और उनके तीनों बेटे आजाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। उनकी बेटी पार्वती रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होती हैं। इस प्रकार के न जाने कितने ही वृत्तांत धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। नेताजी ने तकरीबन 91 सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए 'तमगा ए भारत', 'तमगा ए शत्रु नाश', 'तमगा ए शहीद' जैसे मेडल दिए थे।

23 जनवरी 2021, नेताजी की 125वीं जयंती को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तब से नेताजी की याद में पराक्रम जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस परंपरा के लिए मोदी सरकार प्रशंसा की पात्र है।



कोविड महामारी के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का महत्व

डॉ. मनोज जाटव*



मनरेगा की सार्थकता

सामाजिक सुरक्षा गरीबी को कम करने और विशेष रूप से विकासशील देशों में भेद्यता को कम करने के लिए एक प्रभावी दीर्घकालिक नीति प्रतिक्रिया रही है। नकद हस्तांतरण, रोजगार सृजन, मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि जैसी नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला ने गरीब और हाशिए के परिवारों की स्थिति में सुधार के लिए इस 'शांत-क्रांति' में योगदान दिया है (Barrientos & Hulme, 2009)। हालांकि, संरचनात्मक असमानताओं से उभरने वाली गरीबी और भेद्यता के अंतर्निहित कारणों पर ध्यान न देना एक चिंताजनक विषय है (Devereux, McGregor, & Sabates-Wheeler, 2011)। वैश्वीकरण और आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक सुरक्षा एजेंडा को संचालित किया है, यहाँ पर्यावरण परिवर्तन और महामारियों के मद्देनजर आजीविका के लचीलेपन को बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में संसाधन-गरीब और हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बड़े अनुपात को देखते हुए सरकारों को जमीनी स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसे कानूनों के निहितार्थों को समझने में सक्षम होना चाहिए।

भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों और आय तक पहुँचने में असमर्थता की वजह से परिवारों के बीच आजीविका की सुरक्षा को खतरा रहता है। फ्रेंकेनबर्गर और मैककैस्टन (1998) ने परिवारों की भोजन, पोषण और आय सुरक्षा में सुधार और प्रोत्साहन के लिए राहत-विकास की निरंतरता के आधार पर तीन दृष्टिकोण प्रस्तावित किए— (1) आजीविका का विकास-उन्मुख प्रोत्साहन, (2) पुनर्वास/शमन-उन्मुख आजीविका संरक्षण, और (3) राहत। इनका उद्देश्य संरचनात्मक भेद्यता को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना या बुनियादी ढाँचे में सुधार के माध्यम से रिकवरी का समर्थन करना, और लंबे समय से कमजोर आबादी के लिए भोजन और स्वास्थ्य राहत का प्रावधान करना है। दास (2016) का कहना है कि भारत का बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रोजगार

कार्यक्रम (मनरेगा) मिट्टी और जल संरक्षण पर आधारित आय-सृजन गतिविधियों को एकीकृत करके ग्रामीण घरेलू आजीविका सुरक्षा का समर्थन करने के लिए पहले दो दृष्टिकोणों को जोड़ता है। इस प्रकार, यह न केवल आय हस्तांतरण को सक्षम बनाता है बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं का नवीनीकरण और निर्माण भी करता है। इसका कृषि मजदूरी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मनरेगा को निर्दिष्ट लक्ष्यों से जोड़ा गया है। एसडीजी 1.1 अत्यधिक गरीबी को मिटाने के लिए, एसडीजी 1.2 राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार गरीबी के 50 प्रतिशत को कम करने के लिए, एसडीजी 1.3 सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को लागू करने के लिए और सामाजिक सुरक्षा पलोर, और एसडीजी 10.2 सामाजिक को सशक्त बनाने और बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या के सभी वर्गों का आर्थिक और राजनीतिक समावेश। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 41 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं (Ravi & Engler, 2015)। अध्ययनों से पता चला है कि मनरेगा भाग लेने वाले परिवारों के प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि करने में सक्षम रहा है (Ravi & Engler, 2015; Liu & Deininger, 2010), जो घरेलू आय पर इसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

मनरेगा को सतत विकास योजना के लिए सबसे प्रभावी उपकरण माना गया है, विशेष रूप से जहाँ समुदायों में बढ़ती जलवायु अस्थिरता और संबंधित कमजोरियों (Jatav & Chakraborty, 2019) से निपटने के लिए विपरीत अनुकूली क्षमता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 सूखा-रोधी कार्यों को प्राथमिकता देती है जैसे, जल संचयन और संरक्षण, वनीकरण और वृक्षारोपण, सिंचाई नहरों का निर्माण, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, जल निकायों की सफाई, इत्यादि। योजना में ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक श्रम में 100 दिनों के रोजगार की उपलब्धता रहती है। पात्र आबादी के बीच, उत्पादक आजीविका संपत्ति तक असमान पहुँच के कारण, मनरेगा में भाग लेने का निर्णय ग्रामीण आबादी के विभिन्न वर्गों में काफी भिन्न होता है। यह योजना स्व-चयन के सिद्धांत पर आधारित है जहाँ प्रत्येक ग्रामीण वयस्क रोजगार के लिए आवेदन करने का हकदार है (Drèze & Khera, 2017)। सामान्य

* एसोसिएट फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

तौर पर, 2017–18 से 2019–20 तक यानी महामारी से पहले की अवधि में, मनरेगा ने हाशिए की आबादी (यानी, एससी, एसटी और महिलाओं) के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा दिया है।

महामारी के दौरान

महामारी ने ग्रामीण भारत में विशेष रूप से जलवायु संकटग्रस्त क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला है (Jatav & Nair, 2022)। महामारी के दौरान घर वापस आए प्रवासियों के लिए मनरेगा के अलावा शायद ही कोई प्रभावी राहत उपाय था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मौजूदा सामाजिक सुरक्षा जालों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने के सन्दर्भ में सरकारों की तत्परता के बारे में गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि, महामारी की अवधि के दौरान भारत में राज्यों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण मनरेगा के विकास संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2020–21 के दौरान, मनरेगा राज्यों में कार्यान्वयन प्रक्रिया में तुरन्त किये गए संरचनात्मक परिवर्तनों की वजह से महामारी संकट का सकारात्मक जवाब देने में सक्षम रही है। कुल व्यक्ति-

दिनों के प्रतिशत के रूप में महिला व्यक्ति- दिनों में कमी आई है जो महामारी की अवधि के दौरान मनरेगा में पुरुषों की बढ़ी हुई भागीदारी को इंगित करता है, संभवतः उन लोगों की जो संकट के दौरान शहरों से लौटे थे।

महामारी के प्रभाव को रोकने हेतु किये गए आर्थिक गतिविधियों के देशव्यापी तालाबंदी के कारण भारत ने विभिन्न राज्यों में वापसी प्रवास का एक बड़ा प्रवाह देखा। परिणामस्वरूप, न केवल मौजूदा ग्रामीण आबादी के लिए बल्कि वापसी करने वाले प्रवासियों के लिए भी कार्य की माँग सबसे अधिक देखी गई। ऐसी स्थिति में, सरकारों पर स्रोत पर लौटने वाले प्रवासियों के लिए आय सृजन के अवसर पैदा करने का दबाव बहुत अधिक रहा। महामारी के दौरान मनरेगा पर कुल खर्च में जबरदस्त वृद्धि हुई है (तालिका 1)। 2020–21 में, सरकारों ने इसे वास्तविक रूप से 235 अरब रुपये (2011–12 स्थिर कीमतों पर गणना के आधार पर) तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, महामारी वर्ष के दौरान, प्रति परिवार और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए मनरेगा के माध्यम से अर्जित कुल आय में वृद्धि हुई।

तालिका 1 – भारत में मनरेगा संकेतकों में प्रगति


	संकेतक	पूर्व-महामारी अवधि	महामारी अवधि
सामान्य प्रगति			
1.	कुल उत्पन्न व्यक्ति-दिन (मिलियन)	2556.8	3891.5
2.	एससीएसटी व्यक्ति-दिन (प्रतिशत)	38.7	37.8
3.	महिला व्यक्ति-दिन (प्रतिशत)	54.3	53.2
4.	प्रति परिवार रोजगार के औसत दिन	48.3	51.5
5.	औसत मजदूरी दर प्रति दिन प्रति व्यक्ति (रुपये)*	124.4	127.4
6.	प्रतिशत परिवारों ने 100 दिन पूरे किए	0.8	1.0
7.	कार्य करने वाले कुल परिवार (मिलियन)	52.9	75.5
8.	कुल व्यक्तियों ने कार्य किया (मिलियन)	77.5	111.9
9.	कृषि और संबंधित कार्यों पर व्यय का प्रतिशत	65.2	65.7
वित्तीय प्रगति			
10.	कुल व्यय (अरब रुपये)	472.6	707.6
11.	प्रति प्रतिभागी परिवार कुल व्यय (रुपये)*	8936	9372
12.	प्रति प्रतिभागी व्यक्ति कुल व्यय (रुपये)*	6100	6323
13.	मजदूरी पर : व्यय	69	70
14.	सामग्री पर : व्यय	27.9	27.5
15.	प्रशासन पर : व्यय	4.3	3.5
16.	औसत लागत प्रति दिन प्रति व्यक्ति (रुपये)*	165.6	167
17.	15 दिनों के भीतर : भुगतान	89.3	96.7

स्रोत: आधिकारिक मनरेगा पोर्टल से आँकड़ों का उपयोग कर लेखक की गणना (https://nrega-nic-in/Nregahome/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx);

नोट: *वर्ष 2012 की स्थिर कीमतों पर (RBI, 2021–22); पूर्व-महामारी अवधि: वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2019–20 के बीच औसत; महामारी अवधि: वित्तीय वर्ष 2020–21।

मनरेगा ने राहत के उपाय के रूप में योगदान दिया है क्योंकि इन प्रवासियों को मुख्य रूप से मनरेगा के तहत प्रदान किए गए आकस्मिक कार्यों में ही समायोजित किया गया। महामारी ने यह एक बड़ी चुनौती पेश की है कि मौजूदा राहत उपाय उन जरूरतमंद प्रवासियों तक कैसे पहुँचेंगे जो बहुत ही कम समय में अभूतपूर्व पैमाने पर शहरी स्थानों को छोड़ रहे हैं। “1 अप्रैल से 20 मई के बीच, 35 लाख नए श्रमिकों ने मनरेगा के तहत कार्य के लिए पंजीकरण कराया, जो योजना पर निर्भरता में अचानक वृद्धि का संकेत देता है” (Rajan, Sivakumar, & Srinivasan, 2020)। हालांकि, मनरेगा के तहत कार्यान्वयन कवरेज बढ़ाने के लिए नवाचार की कमी स्थानीय आजीविका के निर्माण में एक बड़ी चुनौती की तरह उभर कर आ रही है। मनरेगा के तहत 260 से अधिक प्रकार की अनुमेय परियोजनाएँ हैं जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूखा निवारण, समुदाय और व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण (Vasudevan et al., 2020)। हालांकि, उपलब्ध कार्य ज्यादातर मैनुअल है जिसमें बहुत अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है (Jatav & Chakraborty, 2019)। मनरेगा खर्च के एक छोटे से हिस्से को वापस लौटे प्रवासियों के बीच सूक्ष्म-उद्यमिता विकसित करने के लिए लगाया जा सकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में सीधे योगदान दे सकते हैं।

मनरेगा के तहत कौशल-विकास प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के लिए बल्कि कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में उद्यमशीलता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को सशक्त बनाने हेतु बहुत अवसर हैं। विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच शिक्षा, कौशल इत्यादि सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों/आजीविका संपत्तियों तक विभिन्न पहुँच का एक समुदाय/ ग्राम स्तर मानचित्रण, मनरेगा के समग्र कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यह अंततः गाँवों से बाहर प्रवास की प्रक्रिया को रोकने में सहायक सिद्ध होगा और स्थायी आजीविका विकल्प बनाने में मदद करेगा (Jatav & Nair, 2022)। इस सम्बन्ध में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है; दूसरी ओर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दिशा-निर्देश तैयार कर सकती हैं और संसाधनों की मैपिंग करते समय किए जाने वाले प्रयासों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय संस्थानों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। स्किल इंडिया इनिशिएटिव, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम, श्रम-बाजार की खामियों को दूर करने के लिए मनरेगा के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है, ताकि उपयुक्त कौशल की कमी के कारण श्रम आपूर्ति और माँग के बीच उत्पन्न हुए असंतुलन को नियंत्रित किया जा सके।



माना कि आज की नारी है सशक्त नारी

रुचिका चौहान*

माना कि आज की नारी है सशक्त नारी पर आज भी उसके मन में और उसके कंधों पर है अपने घर की सारी जिम्मेदारी बच्चे की पढ़ाई, शाम का खाना, कामों की लंबी लिस्ट है जारी माना, माना कि आज की नारी है सशक्त नारी।

पहले डर कर चुप हो जाती थी, सब सह कर भी सबकी खुशियों में खुश हो जाती थी पर आज भी देखें तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है, जवाब तो हर सवाल का दे देती है, हर अत्याचार के खिलाफ कदम भी उठा लेती है पर कहीं न कहीं सशक्त नारी के साथ-साथ संस्कारों, स्नेह और मातृत्व से भरी नारी जाग जाती है क्या मिलेगा अपनों को दुख देकर यही सोच

उनके सशक्त कदमों पर भारी पड़ जाती है, फिर भी कंधे से कंधा मिला हर क्षेत्र में खेल जाती है लंबी और सशक्त पारी

माना, माना कि आज की नारी है सशक्त नारी।

पहले केवल घर और बच्चे होते थे उसकी जिम्मेदारी पर आज घर के हर मुद्दों के साथ-साथ घर के खर्चों में भी है बराबर की हिस्सेदारी सशक्त होकर भी कमजोर पड़ जाती है, जब भी आती घर पर कोई विपदा भारी सब कुछ त्याग कर पूरी हिम्मत से हर तकलीफ को दूर करने के लिए पति संग निभाती है पूरी भागीदारी माना कि आज की नारी है सशक्त नारी माना कि आज की नारी है सशक्त नारी।।

* एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा



दोस्त को श्रद्धा सुमन

डॉ. एलीना सामंतराय*

तुम श्वेत हंस की तरह मेरे जीवन में आई,
शुद्ध, दिव्य! आनंदमय प्रेम और अलौकिक प्रसन्नता फैलाती
हुई।

तुम्हारा सदा मुस्कुराता चेहरा दीप्तिमान चेहरा मेरे जावन में
ताजगी लेकर आया,
ऐसा लगा जैसे सुबह की ओस की बूंदों ने मेरे जीवन का
चूम लिया हो।।

हम मिलते, खिलखिलाते, मुस्कुराते,
जैसे पा लिया हो सारा संसार,
हाँ! दुनिया हमारी थी, यह दुनिया हमारी थी।
वो अंतहीन बातें, खुशनुमा पल और जीवन की खुशियाँ,
लगता था, कभी खत्म न होगा।
लगता था, कभी खत्म न होगा।।

स्नेह, प्रेम और जुड़ाव को लेकर,
प्राणों को असीमित उन्मुक्त ऊर्जा से भरती हुई
इस सुंदर नवजीवन की प्रेरणा बनकर,
मेरे जीवन में तुम प्रविष्ट हुई
नयी खुशियाँ लाई,
और इस खूबसूरत जीवन को अनुभव करने की चाह लाई।
हाँ, मैं भी इस खूबसूरत जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ,
हाँ, मैं भी इस खूबसूरत जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ।।

और मेरे विषादपूर्ण, असहाय, निर्बल क्षणों में
एक बार फिर तुम अपने स्नेहिल स्पर्श से
श्वेत हंस के समान मुझे सहलाने आती हो।
जीवन को दिव्य प्रकाश से भरता हुआ
तुम्हारा उज्ज्वल मुस्कुराता चेहरा
जैसे पा लिया हो सारा संसार मैंने
वो खत्म न होने वाली बातें, जीवन का पूर्ण आनंद
शांत, पवित्र, निर्मल! शांत, पवित्र, निर्मल।

तुम्हें घंटों निहारने की चाह में
इस उज्ज्वल आभा में खुद को भिगोने के लिए

*फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

ओह! मेरी अलौकिक देव-कन्या, परी! मेरी परी!
तुम्हारे लहराते दिव्य सफेद पंख
मुझे स्नेह से सहलाते हुए,
मुझे स्नेह से सहलाते हुए।

कितनी प्रसन्न उस सर्वशक्तिमान के साथ तुम दिखती हो
एक बच्चे की तरह अपने सफेद पंखों को
गर्व से लहराते हुए,
हर्ष, हंसी और चमक फैलाती,
तुम्हें अपनी स्मृति में लाना चाहती हूँ।
वो प्यारी यादें,
मौज-मस्ती, गाना, गपशप
उपहारों का आदान-प्रदान करना
मेरी आँखों में खुशी से टिमटिमा रही हैं।
तुम्हारा प्यार, स्नेह, वे सभी बातें
मानो जीवन भर के खजाने बन गए हों।

हाँ! वे मेरे हैं और मेरी ताकत हैं
वे मेरे दिल में हमेशा रहेंगे
सुरक्षित कीमती स्मृतियाँ
उन मीठी यादों के साथ रहती हूँ,
कभी उनसे अलग नहीं होना चाहती हूँ,
कभी उनसे अलग नहीं होना चाहती हूँ।

फिर भी, जब मैं अकेली होती हूँ,
मुझे वो सफेद हंस दिखाई देता है
और तुम मेरे निकट होती हो।
सफेद पंखों के साथ,
मुझे देखकर मुस्कुराते हुए
मुझे सहलाती हुई
मेरे चेहरे पर मुस्कान वापस लाने के लिए!
आती हो तुम श्वेत हंस के समान.....
मुझे निहारती हुई
मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती हुई,
मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती हुई।।

वीर सपूतों की गाथा

सतीश कुमार*



भारत के वीर सपूतों की गाथा जान लो,
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।

एक बेटा तो दम भरता है जंग के मैदान में
दूसरा बेटा हिम्मत करता खेत और खलिहान में।
जान लुटाते दोनों जब, इनको भी पहचान लो
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।1।

बेटों के साथ बेटियां भी अब देश पर जान लुटाती हैं
जगत जननी भी कहते इनको देश पे प्राण गंवाती हैं।
घर से लेकर मैदाने जंग तक इनकी हिम्मत जान लो
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।2।

देश-धर्म पर राणा प्रताप ने अपनी जान गंवाई थी
देश-धर्म की खातिर उसने घास की रोटी खाई थी।
राजसत्ता का लोभ किया ना, उनकी आन को जान लो
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।3।

तांत्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई रानी थी
कूद पड़ी मैदाने जंग में झलकारी बाई रानी थी।
चंद्रशेखर आजाद, भगतसिंह, राजगुरु को जान लो
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।4।

सुभाषचंद्र से नेता हो गए मेरे हिंदुस्तान में
अंग्रेजों को मार भगाया जंग के मैदान से।
जान गंवा दी देश के लिए कहानी उनकी जान लो
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।5।

कितने दीवाने कितने बेगाने, कितना था उनमें अभिमान
भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया भारत का संविधान।
नमन करो तुम इन वीरों को, एस कुमार तुम जान लो
कितने मिट गए, कितने मर गए थोड़ा उन्हें भी जान लो।6।

*एमटीएस, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

इक्कीसवीं सदी के जननायक

प्रकाश मिश्रा*



हे इक्कीसवीं सदी के जननायक
बीती सदी को याद करो
क्या दोगे तुम अनंत सदी को इस पर विचार करो
देखो तृष्णा उबल रही है काल के कपाल पर
मानवता पिघल रही है जन-जन के ललाट पर
बिना आशा के जन भटक रहे हैं
जैसे प्यासे रेगिस्तान पर2

हे इक्कीसवीं सदी के जननायक
अचेत निद्रा त्याग करो
स्वप्न जो देखे बीती सदी में उनको साकार करो
राम बनो या हनुमान बनो, किंतु भरत तपस्या याद रखो
बिना स्वार्थ के सिंहासन के सच्चे पहरेदार बनो.....2

याद करो तुम उस मिट्टी को जहाँ सभ्यता पहले आई
गंगा जमुना कल-कल करके तन मन पावन करती
कृष्ण जहाँ वंशी में गाते, शिव धनुष है मर्यादित
कण-कण में जहाँ प्रेम वसे, वो धरती है हमारी2

याद करो तुम वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई रानी
वीर भगत, सुखदेव, राजगुरु की अमर कहानी
सत्य, अहिंसा और प्रेम की बापू बाली वाणी
मातृभूमि पे जो शीश चढ़ाये देके अपनी कुर्बानी2

हे इक्कीसवीं सदी के जननायक
सब को आदर सत्कार दो
आत्मनिर्भर भारत बने, सब का प्रकाश हो
नव पीढ़ी मे उदित करो प्रवृत्तियां उत्थान की
शिक्षा को शस्त्र बनाओ, नींव रखो अभ्यास की
मंगलमय हो भविष्य सबका, जय हो हिंदुस्तान की2

*अकाउंट्स एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

युवा क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा

सुधा वोहरा*



ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियों से देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के न जाने कितने वीर-वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन सब के अमर बलिदान के परिणामस्वरूप हमारे देश ने अंततः 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल कर ली। आजादी

के 75वें वर्ष को पूरे देश में 15 अगस्त 2022 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, 'यह ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी। जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, आधुनिक भारत की चमक भी हो।' आजादी का अमृत महोत्सव में किसी भी रूप में प्रतिभागिता करना हम सब के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन असंख्य आत्म-बलिदानी नेताओं और लाखों लोगों, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी, के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुअवसर भी है।

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेकों महान नेताओं/क्रांतिकारियों/सेनानियों से हम सब परिचित हैं परंतु कई क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनके बारे में ज्यादा जानकारी आम जनता को नहीं है जबकि भारत की आजादी की खातिर उन्होंने अल्पावस्था में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही एक गुमनाम महान युवा क्रांतिकारी थे - शहीद मदनलाल ढींगरा।

मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले के एक संपन्न हिन्दू परिवार

में हुआ। उनके पिता दितामल सिविल सर्जन थे और उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वासपात्र था। मदनलाल ढींगरा के छह भाई और एक बहन थे। मदनलाल के बड़े भाई भी अंग्रेजी राज में उच्च पद पर आसीन थे। पूरा परिवार अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगा हुआ था किंतु माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से युक्त महिला थीं। परिवार के कई सदस्यों का अंग्रेजों की नौकरी में होना और परिवार का पाश्चात्य रहन-सहन भी मदनलाल के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई नरमी



नहीं ला सका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मदनलाल ढींगरा का स्थान अप्रतिम है। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले और लंदन में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे मदनलाल ढींगरा के लिए देश की आजादी सर्वोपरि थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिनगारी को उन्होंने अग्नि में बदल दिया। मात्र 25 वर्ष के अपने अल्प जीवन में उन्होंने देशप्रेम की ऐसी अलख जगायी कि इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। मदनलाल ढींगरा इंग्लैंड में अध्ययन करने गये थे लेकिन देश भक्ति के रंग में ऐसे रंग गए कि उन्होंने अंग्रेज अधिकारी

विलियम हट कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी।

मदनलाल ढींगरा ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे। लाहौर में एम. ए. करते हुए मदनलाल स्वदेशी आंदोलन के मूड में आ गए थे। कॉलेज में इंग्लैंड से आये कपड़ों के खिलाफ धरना दे दिया। मदनलाल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। इन्होंने गरीबी, अकाल सब पर अच्छा-खासा पढ़ा था। इन्हें पता था कि भारत की 'भलाई' का दंभ भरता अंग्रेजी राज ही इसकी वजह है

*आशुलिपिक ग्रेड-1, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा - 2021 का आयोजन



वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 - 29 सितंबर 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़ा - 2021 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 14 सितंबर 2021 को हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गयी।

हिंदी पखवाड़ा - 2021 के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 35 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 22 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। सामान्य टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती मोनिका गुप्ता ने द्वितीय एवं श्रीमती सुधा वोहरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर-हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम, श्री प्रकाश मिश्रा ने द्वितीय एवं श्री राजेश कुमार कर्ण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध एवं पत्र-लेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश

कुमार कर्ण ने प्रथम, श्रीमती रुचिका चौहान ने द्वितीय एवं श्रीमती मंजू सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर-हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. रम्य रंजन पटेल ने प्रथम एवं श्रीमती सुधा गणेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री सत्यवान ने प्रथम, श्री कृष्ण कुमार ने द्वितीय एवं श्री हरीश सिंह व श्री दिलीप सासमल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण एवं वर्ग पहली प्रतियोगिता में श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रथम, श्री नरेश कुमार ने द्वितीय एवं श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्रीमती मोनिका गुप्ता ने प्रथम, श्रीमती सुधा वोहरा ने द्वितीय एवं श्री हर्ष दीप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम ने प्रथम, डॉ. रम्य रंजन पटेल ने द्वितीय एवं श्री हर्ष दीप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

सभी विजयी प्रतिभागियों को पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर 29 सितंबर 2021 को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रचनाकारों का योगदान

राजेश कुमार कर्ण*



भारत वर्ष 1200 से 1947 (14 अगस्त) तक गुलाम रहा। इस दौरान विभिन्न आक्रमणकर्ताओं ने देश पर आक्रमण किया, हमें लूटा और कुछ आक्रमणकर्ताओं ने शासन भी किया। अठारहवीं सदी के मध्य तक आते-आते भारत पर ब्रिटिश शासन की जड़ें जम चुकी थीं। उनकी दुर्नीति

तथा आर्थिक शोषण, अत्याचार से आम जनता कराहने लगी और प्रतिक्रियास्वरूप उनके विरोध के स्वर उठने लगे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में देश में पुनरुत्थान और राजनैतिक चेतना की लहर फैल गयी। तत्कालीन कवियों ने भी देश की दासता और करुण दशा से प्रभावित होकर जन जागरण में अपना सक्रिय योगदान दिया। उनका हृदय भारत माँ को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उद्वेलित हो उठा। देशवासियों को अतीत के स्वर्णिम वैभव और सांस्कृतिक परम्परा से परिचित कराने का दायित्व निर्वहन तो इन कवियों ने किया ही साथ ही उनमें देशनिष्ठा एवं अस्मिता भी जागृत की। रचनाकारों ने देश की दुर्दशा पर भी क्षोभ प्रकट कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए जनमानस को प्रेरित कर क्रांति का समुचित पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने अंग्रेजों की कपट-नीति और साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए देशवासियों को आत्मसम्मान के साथ जीने का संदेश दिया। उन्नीसवीं सदी के मध्य में 1857 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई जो 1947 में देश की आजादी के साथ ही खत्म हुई। देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों, राजनीतिज्ञों, कवियों का अप्रतिम योगदान था, इसे भुलाया नहीं जा सकता।

शुरु में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कबीर, रहीम आदि ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, उन्हें संगठित किया। स्वामी विवेकानंद केवल सन्त ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव-प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था— 'नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से; निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।' और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गाँधी को आजादी की लड़ाई में जो जन-समर्थन

मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि है। यहीं बड़े-बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं-केवल यहीं-आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिये जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन—'उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर-जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।' उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रान्ति के जरिये भी देश को आजाद करना चाहते थे। परन्तु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियाँ उन इरादों के लिये अभी परिपक्व नहीं हैं। भारत की उत्कृष्ट वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता की गरिमामयी विरासत मध्यकाल के युग में लुप्तप्राय हो गई थी। राजनीतिक पराधीनता के कारण विचलित भारतीय जनमानस को दयानंद सरस्वती ने आत्मबोध, आत्मगौरव, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता का मंत्र प्रदान किया। वे 19वीं सदी के नवजागरण के सूर्य थे जिन्होंने अंधकार को दूर कर आत्मगौरव के पुनरुत्थान का अभूतपूर्व कार्य किया। बाद में भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने स्वदेश की चीजों से प्रेम करने का आह्वान किया। हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, सम्पादक, निबन्धकार, एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेन्दु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया।

भारतेन्दु युग के कवियों ने जहां एक ओर भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों का स्मरण दिला कर देशप्रेम का नया स्वर फूँका, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की न्यायप्रियता, संगठन-शक्ति, प्रजातंत्र में आस्था, उच्च शिक्षा आदि की भी प्रशंसा की किंतु उन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया। देश के उद्योग-धंधों की अवनति, आर्थिक शोषण, करों के बोझ

* आशुलिपिक ग्रेड-II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

से निरंतर दबी जा रही जनता के दुख-दर्द का भी इन कवियों ने अनुभव किया। ये कवि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्र के नवजागरण के गीत गाने लगे। “हमारा उत्तर भारत देश” – राधा चरण गोस्वामी, “जय जय भारत भूमि भवानी” – प्रेमधन, “जननी हमें सीख अब दीजै” – राधा कृष्ण दास, “जय जयति सदा स्वाधीन हिंद” – श्रीधर पाठक, “वंदे जनहित करी मातरम वंदे” – राम देवी प्रसाद पूर्ण आदि पंक्तियां इस तथ्य को उजागर करती हैं। देश के उत्कर्षार्कष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर भारतेन्दु युगीन कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भाव का बीजोरोपण किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, अम्बिका दत्त व्यास आदि की कविताएं इसी परंपरा में लिखी गई हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी लिखते हैं ‘निज भाषा उन्नति अहै, मिटै न हिय को शूल।’ अर्थात् उन्होंने निजभाषा हिन्दी के माध्यम से देश को एकसूत्र में बांधने का प्रयास किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने भी हिन्दी के महत्व को पहचाना तथा इसके माध्यम से संदेश, नारों के जरिये अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों का विरोध किया।

कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने गुलामी की निंद्रा में सुप्त भारतीयों को जाग्रत करने का प्रयास किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस युग का विशेष महत्व है। भारतीय गौरव और सम्मान से जुड़े अनेक आंदोलनों का प्रभाव इस युग में रहा। गांधीजी के आगमन से देश में नयी शक्ति संचलित हुई तथा राष्ट्रीयता की लहर पूरे देश में फैल गयी। कवियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत के चित्रण के साथ ही वर्तमान की दुर्व्यवस्था का भी वर्णन किया। इन कवियों ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, निर्धनता, स्वदेशी भावना, असहयोग आंदोलन आदि सभी को अपना काव्य विषय बनाकर सशक्त अभिव्यक्ति दी। महावीर प्रसार द्विवेदी, नाथू रमा शंकर, मन्त द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, रूप नारायण पांडेय, लोचन प्रसाद पांडेय, गया प्रसाद शुक्ल ‘सनेही’, रामनरेश त्रिपाठी, माधव शुक्ल, सत्यनारायण ‘कविरत्न’ आदि की रचनाओं में राष्ट्रीय जागृति और क्रांति के चित्र मिलते हैं। इन कवियों की रचनाओं से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ें लोक मानस में बड़ी गहराई तक जम गई थीं। अतः लोक साहित्य भी स्वतंत्रता आंदोलन से अप्रभावित नहीं रहा। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सांस्कृतिक दस्तावेज आज लोकगीतों में ही सुरक्षित हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम के अमर देशभक्तों— नाना साहब और अजीमुल्ला (कानपुर), लक्ष्मीबाई (झांसी), तात्या टोपे (कालपी), कुँवर सिंह (जगदीशपुर, बिहार), बहादुर खाँ और बख्त खाँ (रूहेलखंड), अली बहादुर (बांदा), बेगम

हजरत महल (लखनऊ), राना बेनी माधव (रायबरेली), अहमदशाह (फैजाबाद), महेन्द्र प्रताप (हाथरस) आदि की शौर्य गाथाओं का लोक कवियों ने बखान किया है। लोक कवियों ने कांग्रेस, महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, चरखा, स्वराज आदि से संबंधित लोकगीतों की रचना जनमानस में शौर्य, साहस, राष्ट्रभावना और स्वातंत्र्य चेतना जगाने की चेष्टा की।

स्वाधीनता की लड़ाई में जलियांवाला बाग हत्याकांड और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी, इन दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया और साहित्यकारों ने इसके विरुद्ध तीव्र आक्रोश प्रकट किया। इन साहित्यकारों में अधिकतर बुद्धिजीवी लेखक नहीं, अपितु जनभाषा में लिखने वाले रचनाकार थे, जो स्थानीय तौर पर बहुत लोकप्रिय थे। अंग्रेजों की नृशंसता का प्रतीक बना जलियांवाला बाग हत्याकांड को कलमबद्ध करना अत्यंत कठिन रहा होगा। विभिन्न साहित्य में उस हत्याकांड के मार्मिक चित्रण हैं— निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियों की बौछार। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ते दिखाई दें और गोलियों से मार दिए जाएं। दीवारों के साथ-साथ लाशों के ढेर। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद। लोगों का भागकर बाग में स्थित कुएं में गिरना और कुएं का लाशों से भर जाना। लाशों और घायलों को तड़पते छोड़कर जनरल डायर का निकल लेना। एक घूंट पानी के लिए तड़पना, विलाप करना। चीत्कारों पर सिपाहियों की झिड़कियां। रंग-रंगकर घरवालों का अपने परिजनों को ढूँढने पहुंचना।

अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्यकारों ने अंग्रेजों के अन्यायकारी कृत्यों को उजागर करने और जनचेतना जगाने का बीड़ा उठाया। यह साहित्य ब्रितानी हुकूमत के लिए भयभीत करने वाला और असहनीय था। अतः उन्होंने उन रचनाओं को सीआईडी तथा सन 1860 में बने आईपीसी कानून की धारा 124ए के तहत प्रतिबंधित/जब्त कर लिया। कलमकारों, प्रकाशकों व मुद्रकों को यातनाएं दी गईं, मुद्रणालयों पर छापे पड़े, जुर्माने और दंड दिए गए, पर वे अन्य नाम-पते के साथ आगे आते रहे।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो विचारधारा के साहित्यकार थे। एक साहित्यकार वे थे जो क्रांतिकारी भी थे तथा कवि भी जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बंशीधर शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री अरविंद घोष, श्यामलाल गुप्त, सुब्रमण्य भारती, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, सत्यनारायण ‘कविरत्न’, सियाराम शरण गुप्त, हरिकृष्ण ‘प्रेमी’, शिशुपाल सिंह ‘शिशु’, मैथिलीशरण गुप्त, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, विजय सिंह ‘पथिक’ तथा मौलाना हसरत मोहानी मसऊदी आदि। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल की यातनाएं झेलीं। इन्होंने अपनी रचनाओं के



माध्यम से भी क्रांतिकारी बिगूल फूका। दूसरी विचारधारा के साहित्यकारों ने जेल के बाहर से ही अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के अतीत की गौरवगाथा का वर्णन किया, लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई, अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों, कर के जाल, अत्याचार का पर्दाफाश किया और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इसमें मैथलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर तथा चकोरी जी आदि का नाम लिया जा सकता है।

माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर बाहर आए। इसके लिये उन्हें अनेक बार ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन बनना पड़ा। वे सच्चे देशप्रेमी थे और 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। उनकी कविताओं में देशप्रेम के साथ-साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है। "पुष्प की अभिलाषा" नामक कविता में पुष्प की यह इच्छा बताई गई कि वह अब क्रांतिकारियों के पथ में बिछना चाहती है।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी सच्चे देशभक्त थे। जलियांवाला काण्ड से वे बेहद आहत हो उठे, उनकी राष्ट्रीय चेतना मचल उठी और तब 'अमृत में विष' नामक एक गद्य काव्य लिख डाला। 'तरंगिणी' भी राष्ट्रीय भावों की सजीव झाँकी है जो बहुत ही प्रशंसित हुई। अपने अद्भुत कर्मठ व्यक्तित्व एवं सुदृढ विचारों से भरपूर कृतित्व के कारण उन्होंने भाषा-विज्ञान, व्याकरण, साहित्य, समालोचना एवं पत्रकारिता में जिस क्षेत्र को भी छुआ अद्भुत क्रांति ला दी। भाषा को एक ठोस आधार भूमि प्रदान की। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिन्दी को परिष्कृत रूप प्रदान करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इनसे पूर्व खड़ी बोली हिन्दी का प्रचलन तो हो चुका था पर उसका कोई व्यवस्थित व्याकरण नहीं था। उन्होंने अपने अथक प्रयास एवं ईमानदारी से भाषा का परिष्कार करते हुए व्याकरण का एक सुव्यवस्थित रूप निर्धारित कर भाषा का परिष्कार तो किया ही साथ ही नये मानदण्ड भी स्थापित किये। स्वाभाविक है भाषा को एक नया स्वरूप मिला। अतः हिन्दी क्षेत्र में उन्हें 'पाणिनि' संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा।

वंशीधर शुक्ल हिंदी और अवधी भाषा के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। "कदम-कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा" जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं। 'उठो सोने वालो सबेरा हुआ है', 'उठ जाग मुसाफिर भोर भई' इनकी अवधी में लिखी हुई पुस्तकें हैं। सन 1925 के करीब वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आये। विद्यार्थी जी के सानिध्य में उन पर स्वतंत्रता-आंदोलन का रंग गहराने लगा और कविता की धार भी पैनी होती चली गयी। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और अनेक बार जेल की यात्रा की।

रामवृक्ष बेनीपुरी हिन्दी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य-लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज-सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र-निर्माण, समाज-संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य-विधाओं में जो महान रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं।

अरविन्द घोष जी ने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किन्तु बाद में यह एक योगी बन गये और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रन्थों आदि पर टीका लिखी। योग साधना पर मौलिक ग्रन्थ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाये जाते हैं। वे कवि भी थे और गुरु भी। हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी थी। लार्ड कर्जन के बंग-भंग की योजना रखने पर सारा देश तिलमिला उठा। बंगाल में इसके विरोध के लिये जब उग्र आन्दोलन हुआ तो अरविन्द घोष ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी अतः 2 मई 1908 को चालीस युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास में इसे 'अलीपुर षडयन्त्र केस' के नाम से जानते हैं। उन्हें एक वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिन्दू धर्म एवं हिन्दू-राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चितरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की

थी। उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविन्द को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित करा दिया।

श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी एवं अध्यापक थे। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी और साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र के सानिध्य में आने पर श्यामलाल जी ने अध्यापन, पुस्तकालयाध्यक्ष और पत्रकारिता के विविध जनसेवा कार्य भी किये। वे 1916 से 1947 तक पूर्णतः समर्पित कर्मठ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे। स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने के दौरान वे चोटी के राष्ट्रीय नेताओं – मोतीलाल नेहरू, महादेव देसाई, रामनरेश त्रिपाठी और अन्य नेताओं के संपर्क में आये। गणेशजी की प्रेरणा से आपने फतेहपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इस दौरान 'नमक आन्दोलन' तथा 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का प्रमुख संचालन तथा लगभग 19 वर्षों तक फतेहपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह भी पार्षद जी ने किया। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण पार्षद जी को रानी अशोधर के महल से 21 अगस्त 1921 को गिरफ्तार किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा उन्हें दुर्दान्त क्रान्तिकारी घोषित करके केन्द्रीय कारागार आगरा भेज दिया गया। 1930 में नमक आन्दोलन के सिलसिले में पुनः गिरफ्तार हुए और कानपुर जेल में रखे गये। वे सतत स्वतन्त्रता सेनानी रहे और 1932 में तथा 1942 में फरार भी रहे। 1944 में आप पुनः गिरफ्तार हुये और जेल भेज दिये गये। इस तरह आठ बार में कुल छः वर्षों तक राजनैतिक बन्दी रहे। स्वतन्त्रता संघर्ष के साथ ही आपका कविता रचना का कार्य भी चलता रहा। वे एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। 1921 में आपने स्वराज्य प्राप्ति तक नंगे पाँव रहने का व्रत लिया और उसे निभाया। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से उन्होंने ने 3-4 मार्च 1924 को, एक रात्रि में, 'झण्डा गीत' की रचना की। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झण्डा गीत (विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊँचा रहे हमारा) की रचना के लिये वे इतिहास में सदैव याद किये जायेंगे।

सुब्रह्मण्य भारती को 'महाकवि भारतियार' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। वह एक कवि होने के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु समान थे। भगिनी निवेदिता, अरविन्द और वंदे मातरम् के गीत ने भारती के भीतर आजादी की भावना को और पल्लवित किया। कांग्रेस के उग्रवादी तबके के करीब होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी। भारती जी 1908 में पांडिचेरी गए, जहां दस वर्ष वनवासी की तरह बिताए। इसी दौरान उन्होंने कविता और गद्य के जरिये आजादी की बात कही। 'साप्ताहिक इंडिया' के द्वारा

आजादी की प्राप्ति, जाति भेद को समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए वे जुटे रहे। आजादी के आन्दोलन में 20 नवम्बर 1918 को वे जेल गए। 'स्वदेश गीतांगल' (स्वदेश गीत) तथा 'जन्मभूमि' उनके देशभक्तिपूर्ण काव्य माने जाते हैं, जिनमें राष्ट्रप्रेम और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ललकार के भाव मौजूद हैं। आजादी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए तीन चीजों को वे मुख्य मानते थे – बच्चों के लिए विद्यालय, कल-कारखानों के लिए औजार और अखबार छापने के लिए कागज। एक कविता में भारती ने 'भारत का जाप करो' की सलाह दी है।

तुम स्वयं ज्योति हो मां, शौर्य स्वरूपिणी हो तुम मां, दुःख और कपट की संहारिका हो मां, तुम्हारी अनुकम्पा का प्रार्थी हूँ मैं मां।

सरोजिनी नायडू ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से तथा कांग्रेस में शामिल होकर गांधीजी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधीजी से मिलीं और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गयीं। एक कुशल सेनापति की भाँति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र (सत्याग्रह हो या संगठन की बात) में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गयीं। संकटों से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भाँति गाँव-गाँव घूमकर ये देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। वे बहुभाषाविद थीं और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनीं और अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के एक प्रखर नेता थे। अपने पत्र 'केसरी' के माध्यम से ब्रिटिश शोषण का पर्दाफाश करने में जी जान से जुटे रहे। उसका प्रभाव यह हुआ कि अनेकों पुरुष और महिलाओं ने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। तिलक जी ने 'महरट्टा' नामक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में आरंभ की वह इसके संस्थापक व सम्पादक थे। इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही अंग्रेजों के साम्राज्य पर तीखे प्रहार किये। उनकी रचनाएं व लेख काफी प्रोत्साहित करने वाले तथा राष्ट्रप्रेम के रंग में सराबोर होते थे। यही कारण था कि अंग्रेजों की नजरों में वे खटकने लगे थे। बिपिन चन्द्र पाल ने 'न्यू इंडिया' और वंदे मातरम् नामक पत्रों/समाचार पत्रों की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य पर तीक्ष्ण प्रहार किये।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी भावना को राजनीतिक रंग देकर सार्वजनिक बहिष्कार आंदोलन बना दिया। जब अरविंद घोष ओर माता तपस्विनी ने इसे लोगों की धार्मिक भावना से जोड़ा तो साधु-संन्यासी और पुरोहित भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। महिलाओं ने बहिष्कार आंदोलन में जमकर भाग लिया। विदेशी वस्तुओं व शराब की दुकानों पर बहिष्कार के लिए धरनों, जलूसों में नारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लेना आरंभ कर दिया। श्रीमती भागवती ने राष्ट्र गान लिखे, सभाएं करके आभूषण न पहनने की कसमें खाई गईं।

वीर सावरकर ने देश की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने इंडियन वार ऑफ इंडीपेंडेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी। वे क्रांति की आकाशगंगा के प्रखरतम नक्षत्रों में से एक थे जिन्होंने नवीन भारत को गढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विदेश जाकर सैन्य बल एकत्र करने और तब ब्रिटिश हुकूमत को हराने की सलाह दी जिसे नेताजी ने माना। नेताजी ने पराक्रम और पूरी सूझ-बूझ से ब्रिटिश शासन से त्रस्त देशों के साथ योजनाएं बनाईं और बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार को अंततः भारत को आजाद करना पड़ा।

पण्डित सत्यनारायण शर्मा 'कविरत्न' ने देश की, मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में दो दर्जन से अधिक कविताएँ लिखी हैं। हिन्दी में उनकी रचनाएँ 'सत्यनारायण-ग्रंथावली' में उपलब्ध हैं। सियारामशरण गुप्त जी का व्यक्तित्व घर के वैष्णव संस्कारों और गांधीवाद से विकसित हुआ। गुप्त जी स्वयं शिक्षित कवि थे। मैथिलीशरण गुप्त की काव्यकला और उनका युगबोध सियारामशरण गुप्त जी ने यथावत अपनाया था। विचार की दृष्टि से वे भी गांधीवाद की परदुःखकातरता, राष्ट्रप्रेम, विश्वप्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। उनके काव्य वस्तुतः गांधीवादी निष्ठा के साक्षात्कारक पद्यबद्ध प्रयत्न हैं। समाज की समस्त असंगतियों के प्रति उन्होंने कहीं समझौता नहीं किया। उनका समाधान सर्वत्र गांधीजी की तरह उन्होंने वर्ग संघर्ष के आधार पर न करके हृदय परिवर्तन द्वारा ही किया।

हरिकृष्ण प्रेमी में बचपन से ही राष्ट्रीयता के संस्कार थे। उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना 'स्वर्ण विहान' गति-नाट्य है। उसमें प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं की बड़ी रसात्मक अभिव्यक्ति है। 'शिवा साधना' में शिवाजी को औरंगजेब की साम्प्रदायिक एवं तानाशाही नीति के विरोधी तथा धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय भावना के संस्थापक के रूप में चित्रित किया गया है। हरिकृष्ण जी का हिंदी नाटककारों में अपना विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन इतिहास से कथा प्रसंगों को लेकर उन्होंने हमें राष्ट्रीय जागरण, धर्म निरपेक्षता तथा विश्व-बंधुत्व के महान् संदेश दिये हैं।

स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आएँ, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आएँ, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आएँ, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आएँ। इन सुन्दर पंक्तियों की रचना करने वाले महान कवि शिशुपाल सिंह शिशु ने देश के कोने-कोने में ऐसे काव्य के माध्यम से देशप्रेम की अनोखी अलख जगाई। उनका प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ मरघट आज भी पाठकों में बेहद लोकप्रिय है।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के अधिकांश कवि आजादी के गीत गा रहे थे। उन्हीं में मैथिलीशरण गुप्त भी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति को स्वर दे रहे थे। मैथिलीशरण गुप्त की कृति भारत-भारती (1912) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की पदवी भी दी थी। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झाँसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें सात महीने बाद छोड़ दिया गया। मैथिलीशरण गुप्त अंत तक अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता के नए-नए रंग भरते रहे और नव रस घोलते, प्रसारित करते रहे।

प्रफुल्ल चंद्र पटनायक क्रांतिकारी होने के साथ ही कवि भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संग्राम छेड़ा। 'गांधी का पुनर्जन्म', 'स्वर्ण कुंडल', 'मिट्टी बुला रही है' आदि उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। उन्होंने लंबे समय तक संताल परगना में पहाड़िया और संताल युवाओं का एक समूह बनाकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। उन्होंने आदिवासियों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। वे दो बार जेल गए और कठोर यातनाएं सहें। विजय सिंह 'पथिक' एक अच्छे कवि, लेखक और पत्रकार थे। ब्रिटिश काल में उन्होंने राजस्थान के अजमेर से 'नव संदेश' और 'राजस्थान संदेश' के नाम से हिंदी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और लोगों के मन में फिरंगी शासन तथा उत्पीड़क सामंत वर्ग के विरुद्ध जन-जागृति उत्पन्न करने का काम किया। युवावस्था में ही उनका सम्पर्क रास बिहारी बोस और शचीन्द्र नाथ सान्याल आदि क्रान्तिकारियों से हो गया था। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने का निर्णय किया। इस अवसर पर भारत के गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग ने दिल्ली प्रवेश करने के लिए एक शानदार जुलूस का आयोजन किया। उस समय अन्य क्रान्तिकारियों ने जुलूस पर बम फेंक कर लार्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की किन्तु वायसराय साफ बच गया। रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, पथिक जी व अन्य सभी सम्बन्धित क्रान्तिकारी अंग्रेजों



के हाथ नहीं आये और वे फरार हो गए। 1915 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में क्रान्तिकारियों ने निर्णय लिया कि 21 फ़रवरी को देश के विभिन्न स्थानों पर 1857 की क्रान्ति की तर्ज पर सशस्त्र विद्रोह किया जाए। भारतीय इतिहास में इसे गदर आन्दोलन कहते हैं। योजना यह थी कि एक तरफ तो भारतीय ब्रिटिश सेना को विद्रोह के लिए उकसाया जाए और दूसरी तरफ देशी राजाओं की सेनाओं का विद्रोह में सहयोग प्राप्त किया जाए। राजस्थान में इस क्रान्ति को संचालित करने का दायित्व पथिक जी को सौंपा गया। उन्हीं दिनों लाहौर षडयंत्र केस में पथिक जी का नाम उभरा और उन्हें लाहौर ले जाने के आदेश हुए। किसी तरह यह खबर पथिक जी को मिल गई और वो टाडगढ़ के किले से फरार हो गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए पथिक जी ने अपना वेश राजस्थानी राजपूतों जैसा बना लिया और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में रहने लगे। बिजौलिया से आये एक साधु सीताराम दास उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पथिक जी को बिजौलिया आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने को आमंत्रित किया। उदयपुर रियासत में स्थित बिजौलिया में किसानों से भारी मात्रा में मालगुजारी वसूली जाती थी और किसानों की दशा अति शोचनीय थी। पथिक जी 1916 में बिजौलिया पहुँच गए और उन्होंने आन्दोलन की कमान अपने हाथों में सम्भाल ली। किसानों की मुख्य माँगें भूमि कर, अधिभारों एवं बेगार से सम्बन्धित थी। किसान वास्तव में 1917 की रूसी क्रान्ति की सफलता से उत्साहित थे, पथिक जी ने उनके बीच रूस में श्रमिकों और किसानों का शासन स्थापित होने के समाचार को खूब प्रचारित किया था। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा सम्पादित पत्र 'प्रताप' के माध्यम से बिजौलिया के किसान आन्दोलन को समूचे देश में चर्चा का विषय बना दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने किसानों की अनेक माँगें मान लीं परंतु बेगू में आंदोलन उग्र होकर अनियंत्रित हो गया। तब सरकार ने पथिक जी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। पथिक जी अप्रैल 1927 में इस सजा से रिहा हुए। आगे उन पर आरोप लगा कि वर्ष 1929 में लाहौर असंबली में जो बम फेंका गया था उसे पथिक जी ने ही तैयार किया था। वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया लेकिन वे विचलित नहीं हुए।

मौलाना हसरत मोहानी मसऊदी साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान, समाजसेवक और आज़ादी के सिपाही थे। 1903 में अलीगढ़ से एक रिसाला (पत्रिका) उर्दू मुअल्ला जारी किया जो अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ था। 1904 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गये और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1905 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लिया। 1907 में उन्होंने अपनी पत्रिका में 'मिस्त्र में ब्रितानियों की पालिसी' के नाम से लेख छापी जो ब्रिटिश सरकार को बहुत खली और हसरत मोहानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1919 के खिलाफत आन्दोलन में उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 1921 में उन्होंने सर्वप्रथम 'इन्कलाब जिंदाबाद' का नारा अपने कलम से लिखा। इस नारे को बाद में भगतसिंह ने मशहूर किया। हसरत मोहानी हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वे बाल गंगाधर तिलक व भीमराव अम्बेडकर के करीबी दोस्त थे।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', रामधारी सिंह दिनकर तथा पं. नाथुराम शर्मा 'शंकर' आदि जेल के बाहर से ही अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' कविताओं को लिखने के साथ-साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार तथा संपादक थे। वे इन सभी विधाओं में कथा लिखने के साथ-साथ एक बहुत ही विख्यात रेखा चित्रकार भी थे। वे बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति थे। वे हिंदी साहित्य के उन प्रमुख चार स्तंभों में से एक हैं जिन्होंने अपनी शानदार कविताओं से दिल जीता है। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जी ने अपनी कविताओं में मार्मिकता, वीरता इत्यादि का उल्लेख किया है। वह प्रगतिवाद प्रयोगवाद, काव्य का जनक और अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में निराले भी थे। उनके अंदर एक सबसे अहम गुण 'यथा नाम तथा गुण' के बारे में प्रमाण मिलता था।

वैचारिक रूप से जयशंकर प्रसाद जी अपने युग-जीवन के यथार्थ को मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करते हुए एक तरह से आँख में उँगली डालकर जनता को जगा रहे थे। उनके नाटक स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त आदि में स्वर्णिम

अतीत को सामने रखकर मानो एक सोये हुए देश को जागने की प्रेरणा दी जा रही थी। डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र ने बहुत ठीक लिखा है कि 'स्कन्दगुप्त' एक प्रकार से प्रसाद द्वारा लड़ा जाता हुआ राष्ट्रीय संग्राम है जो साहित्य के द्वारा लड़ा जा रहा है। 'स्कन्दगुप्त' में देवसेना बड़े सरल शब्दों में गा रही थी, "देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दाँव पर आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव को पुकारोगे, सो रहे तुम, न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम्हीं सँवारोगे, दीन जीवन बिता रहे अब तक, क्या हुए जी रहे, विचारोगे? पर्णदत्त भीख भी माँगता है तो भीख में जन्मभूमि के लिए प्राण उत्सर्ग कर सकने वाले वीरों को माँगता है। इसलिए डॉ० रामविलास शर्मा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं 'स्कन्दगुप्त' में प्रसादजी ने दिखाया है कि हूणों के आक्रमण से त्रस्त और बिखरी हुई जनता में फिर से साहस-संचार करके स्कन्दगुप्त और उसके साथियों ने हूणों को समरभूमि में पराजित किया और उन्हें सिन्धु के पार खदेड़ दिया। ब्रिटिश साम्राज्य से आक्रान्त देश में यह नाटक लिखकर प्रसाद जी ने सामयिक राजनीति की भी एक गुत्थी सुलझायी थी।

सुमित्रानन्दन पंत को प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। उनका सम्पूर्ण काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है। उन्होंने दीन-हीन और शोषित वर्ण को अपने काव्य का आधार बनाया।

महादेवी वर्मा जी ने स्वतन्त्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अन्धकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। महादेवी का कार्यक्षेत्र लेखन, सम्पादन और अध्यापन रहा। यह कार्य अपने समय में महिला-शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में सम्पन्न हुआ। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। स्त्रियों

की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज़ उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निन्दा की है उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया।

रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और सांस्कृतिक सुधारक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नयी जान फूँकने वाले युगदृष्टा थे। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएँ दो देशों का राष्ट्रगान बनीं – भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बांग्ला' गुरुदेव की ही रचनाएँ हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का चिंतन, साहित्य उस समय से भी आगे था। उन्होंने बांग्ला में साहित्य लिखे तथा उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में भी साहित्य लिखे। वे भारतीय स्वतंत्रता की लंबी अवधि के दौरान जीवित रहे और एशिया के कई राजनीतिक नेताओं से परिचित थे। अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान, उन्होंने पूर्व-पश्चिम एकता की दृष्टि बनाई। उन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद की निन्दा की तथा भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए पूर्ण समर्थन की आवाज़ उठाई। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर प्रकाश डालते हुए गीत लिखे। 30 मई 1919 को, उन्होंने अमृतसर नरसंहार (जलियांवाला बाग) के विरोध में 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, जब ब्रिटिश सैनिकों ने कम से कम 379 निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी थी। गांधी और भीमराव रामजी अम्बेडकर के बीच एक विवाद को सुलझाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था; इसमें अम्बेडकर के अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर जोर देने और गांधी की घोषणा-रियायत के विरोध में- 20 सितंबर 1932 से शुरू होने वाले आमरण अनशन की घोषणा शामिल थी।

गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले क्रांतिवीरों में जोश जगाने और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपनी लेखनी से अंग्रेजी सरकार को हिलाने वाले राष्ट्रवादी रचनाकार एवं साहित्य साधकों के प्रकाशपुंज थे। वे देशप्रेम और मानवतावाद के अनोखे कवि थे। उनके साहित्य ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी वरन् राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका और उसके सांस्कृतिक अधिष्ठान को भी प्रतिस्थापित किया। इनकी देशभक्ति तथा जन-जागरण से सम्बद्ध कविताएँ अत्यधिक प्रसिद्ध रही हैं। उनकी एक कविता 'स्वदेश' का यह छन्द-बन्ध जन-जन की जिह्वा पर आद्यन्त विराजमान रहा है- जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।

रामधारी सिंह दिनकर जी क्रांतिकारी एवं गांधीवादी दोनों थे लेकिन गांधीजी के एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर देने की नीति में विश्वास नहीं करते थे। उनकी रचनाओं में शोषण के विरुद्ध विद्रोह के स्वर थे। समूची राष्ट्रवादी काव्यधारा में जनता का आक्रोश, इच्छा-आकांक्षाएं, ऊर्जस्विता और भारतीय यौवन की उन्माद, हुंकार यदि वास्तविक रूप से कहीं रूपायित हो पाई है, तो वह केवल दिनकर की रचनाओं में ही संभव हो पाया है। हिमालय नामक कविता में वे लिखते हैं कि “रे रोक युद्धिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर” उसके स्थान पर उन्होंने अर्जुन एवं भीम जैसे महाबली को लौटा देने का अनुरोध किया है ताकि देश के द्रोहियों और अत्याचारियों से हिसाब-किताब बराबर किया जा सके। अंग्रेजी शासन से बचने के लिए वे नाम बदलकर ‘अमिताभ’ नाम से अपनी रचना लिखते थे। अमिताभ का अर्थ भी दिनकर की तरह सूर्य ही होता है। उनकी रचनाओं से क्रांति की ज्वाला भड़क उठी।

बेशक हिंदी साहित्य के विशाल कालखंड में ऐसे महान युगधर्मा, देशभक्त, स्वतंत्रता के उद्घोषक और समाज सुधारक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी और राष्ट्र एवं समाज सेवा के कार्यों से साहित्य, समाज और देश की अतिशय सेवा की। ऐसे ही कालजयी साहित्यकार हैं पंडित नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ जिनको विशाल साहित्यिक योगदान के लिए महाकवि कहकर पुकारा गया। शंकर जी की कविताओं में तत्कालीन ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने की टीस, उपदेश तथा संदेश मुखर हैं। इनकी कविताओं में वह विविधता, लालित्य, छंद, अलंकार और बिंबों का अनुपम प्रयोग मिलता है जिसे पढ़कर पाठक उसी में खो जाता है। उनके विपुल रचना संसार में पराधीन राष्ट्र की वेदना, समाज में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास, कदाचार और विधवाओं की दीन हीन दशा आदि की उपस्थिति थी। उनकी कविताओं में अंग्रेजी शासन की नीति-अनीति, शासन की चेतावनी और आम लोगों को नैतिक शिक्षा दी गई है। नैतिक शिक्षा का एक उदाहरण- वैर फूट के पास न जाना, सब से रखना मेल-मिलाप/ पुण्यशील सुख से दिन काटें, पापी करते रहे विलाप। महाकवि शंकर जी का सृजन तत्कालीन भारत की दशा और समाज का जीवंत वर्णन का दस्तावेज जैसा है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित “वंदे मातरम” बाद में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत हुआ। इन गीतों ने जनजागरण का काम किया। स्वदेश प्रेम के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस का नारा “तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा”,

बाल गंगाधर तिलक का संदेश “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है” तथा कुछ गीत – “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा”, “सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा” ने भी भारतीयों के दिल में आजादी की ललक जगाई। वीर सावरकर, लाला जालपत राय, बंकिम चंद्र पाल ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से तथा संदेश, सत्याग्रह के जरिये स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी रचनाकारों का ऐसा मानना था कि जब हम किसी अत्याचारी के शोषण से मुक्ति के लिए अपना खून बहाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाता, हमें आजादी अवश्य मिलती है। उस समय हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी समाचार पत्र छप रहे थे जैसे- ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’ तथा ‘द स्टेट्समैन’। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी में ही हमारे रचनाकारों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, विरोध के स्वर जनता तक पहुंचाये। इन सबका प्रभाव जनता पर पड़ा। चूंकि हिंदी सभी प्रांतों में बोली जाती थी, इसलिए हिंदी ने सम्पर्क भाषा का काम किया। अधिकांश रचनाकारों ने हिंदी को अपनाया तथा अपने क्रांतिकारी विचार जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। ठीक ही कहा जाता है कि हिंदी न होती तो हम लोग अभी तक गुलाम ही रहते।

देश की स्वाधीनता के लिए पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी बराबर सहभागिता की है। हिंदी साहित्य की अनेक महिला रचनाकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में स्वयं आहुति दी है और साथ ही अपने सृजन से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना तीव्र, दृढ़ व सशक्त विरोध दर्ज किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में बहुत सी महिलाओं ने कलम को हथियार बनाकर क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाया था। सुभद्रा कुमारी चौहान, हरदेवी, कमला बाई किबे, शिवरानी देवी, जानकी देवी बजाज, सुशीला दीदी, कमला चौधरी तथा विद्यावती कोकिल, गोपाल देवी, उर्मिला देवी, सत्यवती मलिक तथा पुरुषार्थवती देवी का नाम उल्लेखनीय है।

सुभद्रा कुमारी चौहान हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं। झांसी की रानी (कविता) उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएँ सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियां लिखीं और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिन्दी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थीं। वे दो बार जेल भी गई थीं। वे एक रचनाकार होने के साथ-साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थीं।

हरदेवी ने अपनी पत्रिका 'भारत भगिनी' के माध्यम से प्राप्त धन से स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी।



विदेशी बहिष्कार आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। कमला बाई किबे असहयोग आंदोलन से विशेष रूप से जुड़ी हुई थीं। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी की अनेक साहित्यिक कृतियों का मराठी में अनुवाद तब किया था जब अनुवाद कार्य का उतना प्रचलन नहीं था। शिवरानी देवी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखी कहानियों में 'माता', 'गिरफ्तारी', 'जेल में' और 'बलिदान' प्रमुख हैं। जानकी देवी बजाज ने गांधी जी के साथ अनेक आंदोलनों में सहयोग किया। जानकी देवी को गांधी जी अपना पांचवां पुत्र कहते थे। कविताओं के साथ-साथ उन्होंने 'समर्पण और साधना' नामक संस्मरण लिखे जिनमें विनोबा भावे, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी आदि के बारे में संस्मरण हैं जिससे हमें उनके कई बार जेल जाने और अन्य आंदोलनों के संदर्भ में जानकारी होती है। सुशीला दीदी ने 'गया ब्याहन आजादी, लड़ा भारत दा डोली से घर आसी, लड़ा भारत दा' नामक पंजाबी कविता सन 1921 में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में लिखी थी। काकोरी कांड के मुकदमे के लिए उन्होंने अपनी शादी के लिए रखा 10 तोला सोना दान दे दिया था और मुकदमे की पैरवी की थी। कमला चौधरी 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थीं और कई बार जेल गई थीं। 'पिकनिक', 'उन्माद', 'प्रसादी', 'कमंडल यात्रा' आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन दिनों कोई भी कवि सम्मेलन विद्यावती कोकिल के गीतों के बिना सूना रहता था और स्वतंत्रता संग्राम के सभा मंच भी उनकी ओजस्वी राष्ट्रीय कविताओं के बिना अधूरे समझे जाते थे। गोपाल देवी ने 'गृहलक्ष्मी' पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार किया था। उनके घर पर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक गोष्ठियां होती थीं और असहयोग आंदोलन में 'गृहलक्ष्मी' पत्रिका की भूमिका भी सराहनीय थी। उर्मिला देवी ने नौचंदी मेले में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने लाहौर से 'जन्मभूमि' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था जिसमें 'जेल जीवन के अनुभव' धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुए थे। जेल जीवन के बारे में उर्मिला जी बताती थीं कि रेत मिली रोटियां कैदियों को दी जाती थी और उन्हें बदबूदार स्थानों पर रखा जाता था। वहां फर्श पर कीड़े रेंगते थे जिससे अनेक बीमारियां होती थी। सत्यवती मलिक गांधी जी के प्रेरणास्वरूप स्वतंत्रता आंदोलनों में सहभागिता


करती थीं। जब यात्रा वृत्तांत जैसी रचनाएं बहुत कम लिखी जाती थीं तब 'कश्मीर की सैर' जैसा प्रसिद्ध

यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा था। पुरुषार्थवती देवी ने अपने जीवनकाल में न केवल राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अनेक ऐसी रचनाएं भी लिखीं जिनको सुनकर और पढ़कर लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। उदाहरणस्वरूप उनकी कुछ पंक्तियां देखें— हे स्वच्छंद विचरने वाले, हे स्वातंत्र्य सुधा रस वाले/ हमको भी स्वाधीन बना दे मीठा जल बरसाने वाले।

इनके अतिरिक्त तोरण देवी शुक्ल लली, बुंदेल बाला, जनक दुलारी, कुमारी राजेश्वरी पटेल, सूर्य देवी दीक्षित, ललिता देवी, अनूप सुंदरी, कमला कुमारी, राम कुमारी देवी चौहान, उषा देवी मित्रा, राजेश्वरी देवी नलिनी, तारा पांडे, रामेश्वरी मिश्र चकोरी, शांति अग्रवाल, आशारानी व्होरा इत्यादि ने सृजनात्मक योगदान के साथ-साथ स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था और यथाशक्ति योगदान भी दिया था। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर्व पर इतिहास के पन्नों में गुम इन स्वातंत्र्य साधिकाओं को नमन है।

जब क्रांति की ज्वाला धीरे-धीरे पूरे देश में फैलने लगी तो लोक साहित्य भी पीछे कहां रहता। मैथिली, भोजपुरी, अवधी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं के कवियों ने भी अपने महान देशभक्तों की शौर्य गाथा, अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज, तीर्थस्थान का वर्णन अपनी रचनाओं में किया और लोगों को एकजुट किया। मैथिली भाषा में विद्यापति, दामोदर दास; भोजपुरी भाषा में भिखाड़ी ठाकुर का नाम उल्लेखनीय है। देश के रचनाकारों ने रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, चित्तौड़ के राजा वीर महाराणा प्रताप सिंह आदि की शौर्य गाथा गाकर भी लोगों को उद्वेलित किया।

आजादी के अमृत महोत्सव में इन रचनाकारों के योगदान को रेखांकित करने की पहल प्रशंसनीय है। हमें इन्हें भुलाना नहीं चाहिए, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इतिहास के पाठ्यक्रम में आक्रमणकारियों के क्रम वंशावली नाम आदि हमें रटा दिये गए हैं किंतु जिनकी रचनाओं, शौर्य से हम आजाद हुए उन्हें कम जगह दी गई है। इन रचनाकारों ने हमें क्रांति के लिए अंग्रेजी शासन के लूट-खसोट, अत्याचार का पर्दाफाश नहीं किया होता तो हम आज भी गुलाम ही होते।



पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

गीता अरोड़ा*



'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होंगे खराब' पहले के जमाने में यह कहावत हर गाँव, गली, मुहल्ले, नगर और शहर में काफी प्रसिद्ध थी और 1958 में आई हिंदी फिल्म 'मालिक' में आशा भोंसले द्वारा गाया गाना 'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तुम बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होंगे खराब तुम होंगे खराब' लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। हो सकता है कि पूर्व में साक्षरता का प्रसार करने के उद्देश्य से इस कहावत को काफी तवज्जो दी जाती रही हो क्योंकि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी। परंतु आज जमाना काफी बदल चुका है, वर्तमान में साक्षरता दर 74.04 है और पढ़ने-लिखने वालों के साथ ही खेलने-कूदने वाले युवा भी अपने-अपने क्षेत्र में नवाब बनने के साथ ही लाजवाब प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने खेलों में स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और एशियाई, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के साथ ही ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

दुनियाभर में खेलों के 'महाकुंभ 2020' के टोक्यो ओलंपिक खेलों, जिन्हें विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण 23 जुलाई से 08 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था, में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 48वाँ स्थान हासिल किया था। एक ओर भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, तो वहीं मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में और रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीते थे। बैडमिंटन में पी. वी. सिंधू, मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन, कुश्ती में बजरंग पूनिया और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते थे। जैसी कि परंपरा है, ओलंपिक खेलों के बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए पाँच स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य पदक सहित

रिकॉर्ड 19 पदक जीतते हुए 24वाँ स्थान हासिल किया। यह पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस से पहले भारत ने 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों में दो स्वर्ण मेडल समेत चार पदक अपने नाम किए थे। भारत ने टोक्यो से पहले 11 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण समेत कुल 12 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 9 अलग-अलग खेल स्पर्धाओं में 54 पैरा-एथलीटों ने हिस्सा लिया और इनमें से 17 एथलीटों ने पदक जीते। पैरालंपिक खेलों में ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उनके प्रदर्शन पर कहा, "भारतीय पैरा खिलाड़ियों का अभूतपूर्व उदय, एक नये युग की शुरुआत हुई है।" टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों नाम इस प्रकार हैं: **स्वर्ण पदक** – भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक अविनि लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मुकाबले में जीता था। इसके बाद सुमित एंटिल ने भारत को जेवलीन थ्रो में दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में तीसरा तो प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में देश के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद खेलों के आखिरी दिन एक बार फिर बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 5 कर दी। **रजत पदक** – बैडमिंटन में गौतमबुद्ध नगर के माननीय जिलाधिकारी सुहास यथिराज, टेबल टेनिस में भाविना पटेल, हाई जंप में निषाद कुमार, डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया, दैवेद्र झाझरिया ने जेवलीन थ्रो में, मरियप्पन थंगावेलू एवं प्रवीण कुमार, दोनों ने हाई जंप में और शूटिंग में 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिंहराज अडाना ने देश के लिए रजत पदक जीते। कर्नाटक के सुहास यथिराज कोर्ट के भीतर और बाहर कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वह 2020 से गौतमबुद्ध नगर (नौएडा) के जिलाधिकारी हैं, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में आगे रहकर अगुवाई कर चुके हैं और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पहले अधिकारी भी बन गये हैं।

कांस्य पदक – भारत के लिए सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलीन थ्रो, सिंहराज अडाना ने शूटिंग, शरद कुमार ने हाई जंप, अविनि लेखरा ने शूटिंग, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी

* आशुलिपिक ग्रेड-1, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अरवि लेखरा और सिंहराज अडाना ने इन पैरालंपिक खेलों में दो-दो पदक जीत दोहरी सफलता हासिल की। जीते गए पदकों की स्पर्धा-वार बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी एवं बैडमिंटन में दो-दो स्वर्ण जबकि एथलेटिक्स में एक स्वर्ण पदक; एथलेटिक्स में पाँच रजत, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और बैडमिंटन में एक-एक रजत; तथा एथलेटिक्स एवं निशानेबाजी में दो-दो कांस्य और तीरंदाजी एवं बैडमिंटन में एक-एक कांस्य पदक जीते।

अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों से पहले 11 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और 12 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हो गई थी, लेकिन भारत ने तेल अवीव पैरालंपिक (1968) में पहली बार भाग लिया था और 1984 के पैरालंपिक से भारत लगातार इन खेलों में भाग ले रहा है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों से पहले पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं – मुरलीकांत पेटकर (1972 हैडिलवर्ग): भारत के लिए पैरालंपिक के इतिहास में पहला मेडल 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्वीमिंग में मुरलीकांत पेटकर ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीता था। जोगिंदर सिंह बेदी और भीमराव केसरकर (1984 स्टोक मंडेविले/न्यूयार्क): जोगिंदर सिंह बेदी भारत के लिए पैरालंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा तीन मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं। बेदी ने 1984 के पैरालंपिक खेलों में गोला फेंक में सिल्वर, भाला फेंक और चक्का फेंक में कांस्य पदक जीतकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके अलावा इन्हीं खेलों में भीमराव केसरकर ने भी भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता था। राजिंदर सिंह राहेलू और देवेंद्र झाझरिया (2004 एथेंस): देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक प्रतियोगिता में 2004 एथेंस पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा इन्हीं खेलों में राजिंदर सिंह राहेलू ने 56 किग्रा वर्ग में पॉवरलिफ्टिंग में भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता। गिरीशा एन. गौड़ा (2012 लंदन): हाई जंपर गिरीशा एन. गौड़ा ने भारत के लिए इकलौता मेडल जीता। उन्होंने 1.74 मीटर की छलांग लगाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन, वरुण सिंह भाटी, दीपा मलिक (2016 रियो): भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया और ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक जीते, दीपा मलिक ने गोला फेंक स्पर्धा में रजत और वरुण सिंह भाटी ने मरियप्पन के साथ पोडियम शेयर करते हुए कांस्य पदक जीता। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं।



जब बात पैरा एथलीट या खिलाड़ियों की हो तो बात हौसलों के भी ऊपर की है। बात सिर्फ चुनौतियों का सामना करने की नहीं है, बात मेहनत करने की भी नहीं है, ये बात है एक बहुत बड़ी लड़ाई की। ऐसी लड़ाई जो पहले खुद से लड़कर जीतनी होती है, उसके बाद में समाज के विकलांग रवैए के खिलाफ और अंत में खेल के मैदान पर जीतनी होती है। किसी का पैर बस के नीचे कुचला गया, किसी को बिजली का ऐसा झटका लगा कि पूरा बाजू ही काम के लायक नहीं रहा, किसी का बाजू जन्म से ही नहीं है, तो कोई पोलियो का शिकार हुआ, किसी को नजर नहीं आता और किसी को बहुत कम दिखाई देता है, किसी के हाथ में विकार है तो किसी के पाँव में कोई विकार।

सबको समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पैरा खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। मान लीजिए कि शॉटपुट खेल में भाग लेने वाले पाँच खिलाड़ी हैं। उनमें से दो ऐसे हैं जिनके केवल हाथ में विकलांगता है और तीन ऐसे हैं जिनके पूरे बाजू में ही विकलांगता है, तो उनको अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा ताकि मुकाबला बराबरी का रहे। जिस तरह ओलंपिक खिलाड़ियों का वजन और लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसी तरह पैरा खिलाड़ियों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके खेल को किस हद तक प्रभावित कर रही है, यही उनकी श्रेणी को तय करता है। किसी खिलाड़ी को 'पैरा खिलाड़ी' माना भी जाएगा या नहीं, इसके 10 मानदंड होते हैं :- 1) मांसपेशियों की दुर्बलता, 2) जोड़ों की गति की निष्क्रियता, 3) किसी अंग में कोई कमी, 4) टांगों की लम्बाई में फर्क, 5) छोटा कद, 6) हाइपरटोनिया यानी मांसपेशियों में जकड़न, 7) शरीर के मूवमेंट पर नियंत्रण की कमी 8) एथेटोसिस यानी हाथ-पैरों की उँगलियों की धीमी मंद गति, 9) नजर में खराबी और 10) सीखने की अवरुद्ध क्षमता।

व्हील चेयर पर खेले जाने वाले खेल उब्ल्यूएच-1 या उब्ल्यूएच-2 के नाम से जाने जाते हैं। एफ यानी फील्ड की प्रतियोगिताएं जैसे शॉटपुट, जेवलिन थ्रो, डिसकस थ्रो।

इसमें भी विकलांगता के हिसाब से लगभग 31 श्रेणियाँ होती हैं। वहीं टी यानी ट्रैक की प्रतियोगिताएँ— जैसे रेस और जंप। इसमें 19 श्रेणियाँ होती हैं। इनमें नंबर बदलता हुआ नजर आता है, जैसे एफ-32, 33, 34, 35... तो समझिए कि जितना कम नंबर है उतनी ही अधिक विकलांगता है। इसके अलावा, तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, जूडो तथा चार व्हीलचेयर के खेल (बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और फेंसिंग) भी पैरालंपिक में शामिल हैं। इनमें से जो खेल खड़े होकर खेले जाते हैं, वो एस (स्टैंडिंग) से शुरू होते हैं। अगर एस के आगे एल लिखा है, तो मतलब शरीर के निचले हिस्से (लोअर लिंब) में दिक्कत है और अगर एस के आगे यू लिखा है, तो मतलब शरीर के ऊपर के हिस्से (अपर लिंब) में विकलांगता है।

सामान्य खेलों की तरह पैरा गेम्स में भी एक न्यूनतम योग्यता मानदंड (एमईसी) होता है, जैसे शॉटपुट में 10 मीटर और जेवलिन थ्रो में 40 मीटर जैसा एक लक्ष्य निश्चित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) ये मानक तय करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर खिलाड़ी ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया तो उसे क्वालीफाइड मान लिया जाएगा। आईपीसी हर एक देश को एक कोटा देती है और उससे ज्यादा खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते। अगर कोटे से अधिक खिलाड़ी एमईसी हासिल कर लें, तो हर देश उन खिलाड़ियों के बीच फाइनल सेलेक्शन ट्रायल करवाता है। इसके अलावा, विश्व रैंकिंग के आधार पर भी खिलाड़ियों का चयन होता है।

भारत में पिछले कई सालों से पैरा खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतियाँ और संसाधनों की कमी अब भी है। जिन केंद्रों में सामान्य खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, उन्हीं स्टेडियमों में पैरा खिलाड़ी भी अपने विशेष प्रशिक्षकों के साथ तैयारी करते हैं। भारतीय पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष **दीपा मलिक** के अनुसार, 'भारत सरकार ने 17 करोड़ रुपए पैरा खिलड़ियों के प्रशिक्षण, विदेशी दौरे और सुविधाएँ प्रदान करने में खर्च किए हैं।' उनका कहना है कि सरकार की 'टॉप्स स्कीम' का



खिलाड़ियों को काफी फायदा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान, चाहे लाखों रुपए की व्हील चेयर हों या टेबल टेनिस की टेबल, खिलाड़ियों को काफी चुनौतियों के बावजूद सब कुछ मुहैया करवाया गया। दीपा का मानना है,

'अब जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है, वो है अच्छे कोच और अच्छी ट्रेनिंग की सुविधाएँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2015 को अपने रेडियो संबोधन 'मन की बात' में कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक 'दिव्य क्षमता' है और उनके लिए 'विकलांग' शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके सुझाव के बाद से इस शब्द का चलन हुआ और इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय पैरा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वास्तव में इन खिलाड़ियों ने बहुत ही अद्भुत, प्रेरणादायक एवं दिव्य प्रदर्शन किया।

निस्संदेह, भारत सरकार खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही है और राज्य सरकारों द्वारा भी पदक विजेताओं को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा जाता है। हमें पैरालंपिक पदक विजेता एथलीटों को ओलंपिक पदक विजेताओं के समान सम्मान देना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन सुधारने में ओडिशा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का विशेष योगदान है। ओडिशा सरकार 2018 से भारतीय हॉकी टीमों की आधिकारिक प्रायोजक रही है। भारतीय हॉकी टीमों के सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, 'टीमों ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है।' 'आपने टोक्यो में अपनी उत्साही लड़ाई से हम सभी को गौरवान्वित किया है। भारतीय हॉकी के पुनरुद्धार का गवाह बनने के लिए ये भारत के लिए बेहद भावनात्मक क्षण हैं।' "हम, ओडिशा में, इस बात से उत्साहित हैं कि हॉकी इंडिया के साथ हमारी साझेदारी ने देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेरा मानना है कि ओडिशा और हॉकी का पर्यायवाची बनना तय है। हम हॉकी इंडिया के साथ अपनी साझेदारी जारी रखेंगे। ओडिशा 10 और वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों का समर्थन करना जारी रखेगा।' टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया तो महिला हॉकी टीम ने भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार, दूसरी सरकारों एवं व्यावसायिक घरानों द्वारा पैरा एथलीटों को प्रायोजित करना चाहिए और भारत सरकार ओलंपिक पदक लक्ष्य योजना (टॉप्स) के तहत खिलाड़ियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के साथ-साथ उनके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों की व्यवस्था करे तो निश्चित तौर पर अन्य खिलाड़ियों के साथ-साथ पैरा खिलाड़ी भी ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन समझौते और भारत की प्रतिबद्धता

बीरेंद्र सिंह रावत*



अक्टूबर – नवम्बर 2021 के दौरान देश के अलग-अलग क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदा का प्रकोप झेलना पड़ा। पहले, 18-19 अक्टूबर 2021 के दौरान उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्रलयकारी बारिश हुई। नैनीताल में एक ही दिन में रिकॉर्ड 400 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश

और इसके फलस्वरूप आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई जिसमें जान-माल का बहुत नुकसान हुआ। लगभग 80 लोगों ने अपने प्राण गंवाये। फिर, 19-20 नवंबर 2021 के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी एवं केरल में मूसलाधार बारिश का कहर बरपा। अनेकों गांव जलमग्न हो गए, हजारों हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया, अनेक व्यक्ति एवं सैकड़ों मवेशी इसकी चपेट में आ गए। इससे सबसे अधिक प्रभावित आंध्र प्रदेश रहा, जहाँ लगभग 50 व्यक्ति अपनों से सदा के लिए बिछुड़ गए। यही नहीं, चेन्नै में तो जब-तब डूब की स्थिति बन जाती है। यह तो कुछेक उदाहरण हैं। वास्तव में, यदि हम वर्ष 2021 को ही देखें तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, पूरे देश में प्राकृतिक आपदाओं से जान-माल के नुकसान की खबरें अटी पड़ी हैं। मौसम में चरम बदलाव की घटनाएं जो कभी दशकों में एक-आध बार हो जाया करती थीं, अब ये घटनाएं अक्सर हो रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक जलवायु वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में बाढ़, चक्रवाती तूफान, भारी वर्षा, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसी चरम जलवायु घटनाओं के चलते देश में 1750 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। इस दौरान भारत में आंधी-तूफान और बिजली गिरने से 787 लोगों, भारी बारिश व बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 759 लोगों और पांच चक्रवाती तूफानों के कारण 172 लोगों की मौत हुई। 1901 में देश में राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2016 (0.71 डिग्री सेल्सियस), 2009 (0.55 डिग्री सेल्सियस), 2017 (0.54 डिग्री सेल्सियस), और 2010 (0.53 डिग्री सेल्सियस) के बाद 2021 पांचवां सबसे गर्म साल रहा, जिसमें औसत वार्षिक वायु तापमान सामान्य से 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस प्रकार, देश के लिए औसत वार्षिक वायु तापमान सामान्य से सबसे अधिक, 0.71 डिग्री सेल्सियस 2016 में रहा था।

इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक के एक शोध समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, 1900 के बाद से प्राकृतिक आपदा के कुल 756 उदाहरण थे, जिनमें भू-स्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि शामिल हैं। भारत में 20वीं सदी में, 1900 से लेकर 2000 तक कुल 402 चरम घटनाएं हुई थीं, जबकि 21वीं सदी में 2000 से 2021 तक ही प्राकृतिक आपदा की 354 घटनाएं हो चुकी हैं। इस शताब्दी को पूरा होने में अभी भी लगभग आठ दशक बाकी हैं। ऐसे में कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार की भारी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। 2001 के बाद से तकरीबन 100 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं और करीब 13 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान का अंदाजा है जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है। सन 1900 से 2000 तक कुल 402 चरम घटनाओं में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 90,50,599 मौतों की सूचना दर्ज की गई थी। वहीं 2000 से 2021 तक 354 चरम मौसमी बदलाव की घटनाओं में 82,747 मौतें हो चुकी हैं। विभिन्न घटनाओं की पड़ताल करने पर पता चलता है कि बाढ़ और तूफान के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। देश में होने वाले कुल नुकसान में 60 प्रतिशत से अधिक की वजह बाढ़ है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1970 की तुलना में बाढ़ की घटनाएं 8 प्रतिशत और भू-स्खलन, बादल फटने व ओलावृष्टि की घटनाएं 20 गुना बढ़ गई हैं। सूखे से प्रभावित जिलों का वार्षिक औसत 13 गुना बढ़ गया है। भारत में 75 प्रतिशत जिले जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के केंद्र में हैं और इन जिलों में देश की 80 प्रतिशत आबादी रहती है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब कहीं अधिक स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत रहने वाला भारत उपरोक्त खतरों के दृष्टिगत वर्ष 2015 में पेरिस में “संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन” (कोप 21) के दौरान 12 दिसम्बर 2015 को हुए जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक समझौते के अनुपालन में काफी तत्परता एवं सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है जबकि कुछ विकसित देश इस संबंध में पूरी ईमानदारी से काम नहीं

*वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो 01 जून 2017 को 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी और कहा कि पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन के दौरान हुए इस समझौते पर फिर से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के प्रति मेरे कर्तव्य के तहत अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट रहा है। एक अच्छा विवेक एक ऐसे सौदे का समर्थन नहीं करता जो अमेरिका को सजा देता हो। चीन और भारत जैसे देशों को पेरिस जलवायु समझौते से सबसे ज्यादा फायदा होने की दलील देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका के लिए अनुचित है क्योंकि इससे हमारे उद्योगों और रोजगार पर असर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत को इस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए अरबों डॉलर मिलेंगे और चीन के साथ वह आने वाले कुछ वर्षों में कोयले से संचालित बिजली संयंत्रों को दोगुना कर लेगा और अमेरिका पर वित्तीय बढ़त हासिल कर लेगा। पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन के बाद ही अमेरिका पुनः इसमें शामिल हुआ है। यही नहीं, जब स्टॉकहोम सम्मेलन की बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 03 से 14 जून 1992 के दौरान ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें संबद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना के भविष्य की दिशा पर पुनः चर्चा आरंभ की तो तब भी अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैस पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने का विरोध किया था। जब भी यह तय करने की बात हुई कि किस गैस को किस तरह, कितना और कब कम करना है, अमेरिका ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता की बात की। 1997 में हुई क्योटो संधि, जिसमें सिर्फ विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, में भी अमेरिका कई रियायतें हासिल करने के बाद ही शामिल हुआ था।

ध्यातव्य है कि बढ़ती हुई आबादी, तेजी से खत्म होते प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण के कारण पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन, और मनुष्य पर उसके दुष्प्रभावों ने मानव को पहले की तुलना में पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत होने के लिए बाध्य कर दिया था। इस दिशा में दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 05 – 16 जून 1972 के दौरान स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें यह तय हुआ था कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। इस आशय की पुष्टि हेतु 1972 में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया और केन्या की राजधानी नैरोबी को इसका

मुख्यालय बनाया गया। इस सम्मलेन की दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 के दौरान नैरोबी में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न कार्य योजनाओं का एक घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन की बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 03 से 14 जून 1992 के दौरान ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन हुआ। रियो में यह तय किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्ययोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें पर्यावरण एवं विकास को अन्योन्याश्रित स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों के सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित किया गया तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक प्रयासों हेतु 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) नामक संधि पर दस्तखत हुए। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कोप) नाम दिया गया। इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कोप 1) वर्ष 1995 में बर्लिन (जर्मनी) में हुआ था। तब से अब तक कुल 26 बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किए गए हैं किंतु सभी देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता के बिना हम ग्लोबल वार्मिंग रोकने के संबंध में आशातीत सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण अनेक देशों के द्वारा किसी एक या दूसरे बहाने हीलाहवाली करना रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण यह है कि वर्ष 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में विकसित देशों ने तय किया था कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकासशील देशों को वर्ष 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर दिए जाएंगे। लेकिन सितंबर-2021 में जारी ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2019 में 79.6 अरब डॉलर ही प्राप्त हुए, जो वादे से लगभग 21 बिलियन डॉलर कम हैं।

अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में भारत में तीन मात्रात्मक जलवायु परिवर्तन लक्ष्य रखे गए थे, जैसे 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत की कमी लाना, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित करने की क्षमता को 2030 तक प्राप्त करना और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। जलवायु परिवर्तन के प्रति सदैव धीर-गंभीर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26वें

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (कोप 26) को संबोधित करते हुए इन लक्ष्यों में सकारात्मक एवं अधिक प्रभावी संशोधनों के साथ भारत की ओर से पांच वादे किए। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए पांच अमृत तत्व रखना चाहता हूँ, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूँ। पहला— भारत, 2030 तक अपनी गैर जीवाष्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा; दूसरा— भारत, 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा; तीसरा— भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन (अरब) टन की कमी करेगा; चौथा— 2030 तक भारत, अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इंटेंसिटी) को 45 प्रतिशत से भी कम करेगा; और पांचवा— वर्ष 2070 तक भारत कार्बन तटस्थता (नेट जीरो) का लक्ष्य हासिल करेगा। (नेट जीरो — कोई देश जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, उतनी ही मात्रा में इन गैसों को पेड़ों या तकनीक से सोख लिया जाए, यानी उत्सर्जन जारी तो रहेगा लेकिन वायुमंडल से उसके बराबर मात्रा को सोखकर उसे संतुलित कर दिया जाएगा)। क्लाइमेट वाच संस्था के अनुसार दुनिया में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन का 60 प्रतिशत सिर्फ दस देशों से होता है, जबकि 100 देश 3 प्रतिशत से भी कम उत्सर्जन कर रहे हैं। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत भले ही तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में बहुत नीचे है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है। वर्ष 2000 में चीन का कार्बन उत्सर्जन 4.25 गीगाटन और अमेरिका का 6.45 गीगाटन था। जो वर्ष 2018 में क्रमशः 11.71 गीगाटन और 5.71 गीगाटन हो गया। उन्होंने कहा कि विश्व की आबादी का 17 प्रतिशत होने के बावजूद, भारत केवल पांच प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। बावजूद इसके भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाए हैं में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है।

इस प्रकार, विश्व में जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते हालात के गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के संकल्प को ग्लासगो कोप 26 सम्मेलन में दोहराया। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2022 की रिपोर्ट में भी भारत के शानदार प्रदर्शन ने पीएम की प्रतिबद्धता पर मुहर लगा दी है। जर्मनवाच संस्था द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत दसवें स्थान पर मौजूद है जो काफी बेहतर प्रदर्शन है। ध्यातव्य है कि सीसीपीआई को जर्मनवाच संस्था न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन) के साथ मिलकर जारी करती है।

जर्मनवाच 1991 से वैश्विक समानता और आजीविका के संरक्षण के लिए काम करती है जबकि सीएएन 130 देशों की करीब 1,500 सिविल सोसायटी का नेटवर्क है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में औसत प्रदर्शन के अलावा बाकी श्रेणियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा में नार्वे सबसे बेहतर रहा है। यह लगतार तीसरा साल है जब भारत सीसीपीआई में शीर्ष दस देशों में स्थान बनाने में सफल रहा है। इस बार की रिपोर्ट में वह दसवें स्थान पर है। बीते साल भी वह इसी स्थान पर था और सीसीपीआई 2020 में वह नौवां स्थान हासिल करने में सफल रहा था। कहा जा सकता है कि इस बार की रिपोर्ट में भारत सातवें स्थान पर है क्योंकि शीर्ष तीन स्थानों पर कोई देश नहीं है। सीसीपीआई 2022 में विश्व का कोई भी देश रैंकिंग के लिए जरूरी चार श्रेणियों में समग्र रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका इसलिए इस तालिका में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क, पांचवें स्थान पर स्वीडन, छठे स्थान पर नार्वे और सातवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। आठवां स्थान मोरक्को और नौवां स्थान चिली को मिला है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण करने वाले चीन और अमेरिका इस रैंकिंग में बहुत पीछे हैं। चीन 37वें स्थान पर है जबकि अमेरिका 55वें स्थान पर। चीन इस बार चार स्थान फिसला है क्योंकि पिछली रैंकिंग में वह 33वें स्थान पर था। जी20 समूह के अन्य देश जर्मनी और फ्रांस की रैंकिंग क्रमशः 13वीं और 17वीं है। विश्व के देशों के इस प्रतिष्ठित समूह जी20 के ग्यारह देशों ने इस रैंकिंग में खराब प्रदर्शन किया है। सऊदी अरब का प्रदर्शन जी20 देशों में सबसे खराब है। सीसीपीआई में साल 2014 के बाद से भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। पुरानी रिपोर्ट के आकलन से यह पता चलता है कि 2014 में भारत का सीसीपीआई में 31वां स्थान था, जो अगले साल बेहतर होकर 25वां स्थान हो गया। 2016 में भारत ने फिर पांच स्थान की छलांग लगाई और 20वें स्थान पर पहुंच गया। 2017 में देश का प्रदर्शन और बेहतर रहा तथा वह 14वें स्थान पर काबिज हुआ। 2018 में भारत को 11वां व 2019 में नौवां स्थान इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में मिला।

संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 02 डिग्री से कम रखने के लिए विश्व औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से केवल 2,900 गीगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। परंतु विश्व द्वारा पहले ही 2011 तक 1,900 गीगा टन तथा अब तक लगभग 2,000 गीगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा चुका है। इस प्रकार

अब केवल 900 गिगा टन का कार्बन स्पेस शेष बचा है। वर्ष 2030 तक 648.2 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का अतिरिक्त उत्सर्जन किया जा चुका होगा। जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने के लिए पेरिस में हुए “संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन” (कोप 21) में दुनिया के 195 देशों ने 12 दिसम्बर 2015 को जलवायु करार पर ऐतिहासिक समझौते को अपनी मंजूरी दी थी। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी कहा गया था कि संभव हो तो तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित की जाए। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने से रोकना होगा। अभी वैश्विक तापमान सिर्फ 1.1 डिग्री बढ़ा है और तबाहियां आनी शुरू हो गई हैं। अमीर देशों के पास संसाधन हैं, गरीब देश कैसे लड़ेंगे? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के देशों ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए जो लक्ष्य हासिल करने पर सहमति दी है उससे पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन सिर्फ 7.5 प्रतिशत कम होगा जबकि वर्तमान स्थिति ये है कि पूरी दुनिया को तत्काल कम से कम 55 प्रतिशत उत्सर्जन घटाने की जरूरत है तभी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सकेगा। इसके लिए तत्काल निम्नांकित कार्रवाई की जानी आवश्यक है:

- i) सभी देश ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती करें;
- ii) कोयले का इस्तेमाल धीरे-धीरे बंद करें;
- iii) बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा दें व अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ें;
- iv) शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करें;
- v) विकसित देश, विकासशील देशों को मदद के वादे से पीछे न हटें;
- vi) ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इसे गरीब देशों से साझा किया जाए; और
- vii) वनों के साथ-साथ तटीय इलाकों में मैंग्रोव वनों का आच्छादन बढ़ाएं।

भारत पेरिस जलवायु समझौते के तहत 2020 के अपने कार्बन उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के अनुसार, ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला **भारत एकमात्र प्रमुख देश** है। ग्लासगो कोप 26 सम्मेलन के दौरान भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2020 तक 2005 के स्तर से 24 प्रतिशत कम करने का अपना स्वैच्छिक लक्ष्य हासिल कर लिया है।’ देश गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हासिल करने के अपने 2015 के लक्ष्य के करीब है और इस लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए देश में 2030 तक 4,50,000


मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से बनायी जानी थी और हम 3,89,000 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस लक्ष्य को 2023 तक, अर्थात निर्धारित समय से सात साल पहले ही हासिल किया जाएगा। भारत 1.55 लाख मेगावाट बिजली गैर जीवाश्म इंधन से बनाने लगा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी होगी। हालांकि भारत नेट जीरो के मामले में अमेरिकी दबाव (नेट जीरो को वर्ष 2050 तक हासिल करना) पर तैयार नहीं है क्योंकि 70 प्रतिशत ऊर्जा जरूरत के लिए भारत अभी भी कोयले पर ही निर्भर है। इसके साथ ही उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक बात भी पर जोर दिया कि क्लाइमेट फाइनेंस को व्यापारिक निवेश नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये विकासशील देशों की मदद है, ताकि वो अपने जलवायु लक्ष्य को पा सकें।

ग्लासगो कोप 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी यह कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी जलवायु कार्रवाई (क्लाइमेट एक्शन) पर अपनी आकांक्षा बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व की आकांक्षा को हम वहीं नहीं रख सकते जहां पेरिस समझौते के समय थे। उन्होंने कहा कि चूंकि सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन विकसित देश करते हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में क्लाइमेट फाइनेंस के अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कार्बन उत्सर्जन को मॉनीटर किया जाता है, ठीक उसी तरह अब क्लाइमेट फाइनेंस को मॉनीटर किया जाएगा, ताकि विकसित देशों पर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक्शन एंड सॉलिडैरिटी-द क्रिटिकल डिफेंड’ कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक जलवायु वार्ता में अनुकूलन (एडैप्टेशन) को उतना महत्व नहीं मिला है जितना न्यूनीकरण (मिटिगेशन) को। यह उन सभी विकासशील देशों के साथ अन्याय है, जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु बड़ी चुनौती है – फसल चक्र में बदलाव आ रहा है, बेसमय बारिश और बाढ़, या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेय जल के स्रोत से लेकर सस्ते घरों तक, सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सक्षम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘इस संदर्भ में मेरे तीन विचार हैं। पहला, अनुकूलन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला, क्लीन कूकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को अनुकूलन लाभ तो मिले ही हैं, उनका जीवनस्तर भी सुधरा है। दूसरा, कई पारंपरिक

समुदायों में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी अनुकूलन नीतियों में इन पारंपरिक अनुभवों को उचित महत्त्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह, नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। स्थानीय स्थितियों के अनुरूप जीवन शैली का संरक्षण भी अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, अनुकूलन के तरीके चाहे लोकल (स्थानीय) हों, किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट (वैश्विक समर्थन) मिलना चाहिए।

अंत में संतुलन की महत्ता को प्रकट करने हेतु में प्रकृति की शरण में जाना चाहूंगा। पृथ्वी का जन्म और उसमें जीवन प्रकृति की जटिल प्रक्रिया रही है। यह करोड़ों वर्षों की प्रकृति की तपस्या ही रही है कि आज प्राणियों को पनपने का स्थान मिला है। पृथ्वी का आवरण यानी पर्यावरण को प्रकृति ने आश्रय के रूप में प्राणी जगत को जीवन के लिए भेंट दिया। शर्त एक छोटी-सी थी कि इसकी संवेदनाओं और सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए। यह बात भी प्रकृति ने स्वयं अपने लिए नहीं, बल्कि

प्राणी जगत के चिरायु रहने के लिए आवश्यक समझी थी। प्रकृति के पांचों तत्व – वायु, जल, अग्नि, मिट्टी और आकाश – ये सभी एक दूसरे के विरोधी हैं। जल अग्नि को समाप्त करता है, अग्नि वायु को समाप्त करती है। मिट्टी और आकाश एक साथ नहीं रह सकते। शून्य में न अग्नि प्रज्वलित हो सकती है और न जीवित रह सकती है। लेकिन प्रकृति इन सब के बीच एक संतुलन बनाती है। इसी तरह से इस पृथ्वी पर अनेक प्रजातियां हैं – पशु, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। ये सभी जातियां एक दूसरे के प्रति द्वेष रखती हैं। लेकिन प्रकृति उनके बीच जीवन का संतुलन बनाए रखती है। हमें प्रकृति से सह जीवन और सह अस्तित्व का गुण सीखना होगा। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन के खतरों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सभी देश ग्लोबल वार्मिंग रोकने के संबंध में व्यवहार्य एवं व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने हेतु शत-प्रतिशत प्रयास करें। ऐसा होने पर ही हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता सही अर्थों में प्रकट कर सकेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित कर पाएंगे।



हिंदुस्तान हमारा है

सतीश कुमार*

हरेक माँ को अपना बच्चा, अपनी जान से प्यारा है, अपनी जान से प्यारा हमको, हिंदुस्तान हमारा है।

गीले से सूखे में सुलाए अपने प्यारे बेटे को हिम्मत और जज्बात सिखाए अपने प्यारे बेटे को बुरे भले का फर्क बताए अपने प्यारे बेटे को मेरे दामन पर दाग लगे ना, ये बात सिखाए बेटे को मेरा सिर झुकने ना देना, ऐसा वचन हमारा है अपनी जान से प्यारा हमको, हिंदुस्तान हमारा है। 1।

पाल-पोसकर बड़ा किया मैंने देश की रक्षा करने को पाठशाला में भेजा करती अच्छी शिक्षा लेने को देश सेवा में मन लगे जो ऐसी दीक्षा देने को लोरी सुना के बड़ा किया तुझे देश की सेवा करने को

मेरे वचन का पालन करना ये उपदेश हमारा है अपनी जान से प्यारा हमको, हिंदुस्तान हमारा है। 2।

मुझसे ज्यादा तू देश का बेटा, उसकी सेवा करना तू मेरी चिंता छोड़कर बेटा देश की चिंता करना तू दुश्मन भागे रण को छोड़कर, ऐसा सबक सिखाना तू मां के दूध को आंच न आए मेरा वचन निभाना तू दया धर्म भी रखना मन में, अपना ईमान भी प्यारा है अपनी जान से प्यारा हमको, हिंदुस्तान हमारा है। 3।

भारत मां की सेवा करना, मातृ प्रेम को दर्शाता है देश की सेवा सबसे ऊपर ऐसा इतिहास बताता है धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र भी यही बात बताता है रामायण गीता और बाईबल गुरुग्रंथ भी यही सिखाता है संविधान भी यही सिखाता जान से तिरंगा प्यारा है अपनी जान से प्यारा हमको, हिंदुस्तान हमारा है। 4।

* एमटीएस, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा



परछाई पिता की

मंजू सिंह*

मंजिल थी दूर बहुत मगर, कोशिशों का फेरा है,
दिखा रास्ता धुंधला जब भी, किसी के साहस ने घेरा है।
डगमगाए कदम जरा भी मेरे, तो सहारा मुझको दे जाती है,
कांधे पर रख हाथ मेरे, एक आवाज कहीं से आती है,
मैं पास नहीं तो क्या तेरे, पर साथ हमेशा मेरा है।।

बचपन में कांधे पर बैठाकर, जो जहाँ सारा दिखलाता था,
अंगुली थामकर जिसने चलना सिखाया, वो पिता ही तो मेरे थे।
संकट कोई आया हम पर जब भी, छाया बन हमें बचाते थे,
परिवार की हर जिम्मेदारी को, वो बखूबी निभाते थे।
पलकों पर रखते हुए मुझे, हर नखरे मेरे उठाते थे,
वो बचपन की यादें सोच, मन मेरा भर आता है।
कांधे पर रख हाथ मेरे, एक आवाज कहीं से आती है,
मैं पास नहीं तो क्या तेरे, पर साथ हमेशा मेरा है।।

आँख मिचौली खेल संग मेरे, उन्हें अजब खुशी मिल जाती थी,
कभी लड़खड़ाती अगर भूल से, तो बांहों में उठाते थे।
लगाकर सीने से अपने, पीठ मेरी सहलाते थे,
अंगुली उनकी थाम राह पर, बेफिक्र मैं हो जाती थी।
रखती थी हाथ जिस चीज पर, वो झट से मुझे दिलाते थे,
वो बचपन की यादें सोच, मन मेरा भर आता है।
कांधे पर रख हाथ मेरे, एक आवाज कहीं से आती है,
मैं पास नहीं तो क्या तेरे, पर साथ हमेशा मेरा है।।

भाग दौड़कर हर रोज वो, स्कूल मुझे ले जाते थे,
थकती आँखें जितनी चाहे, फिर भी मुझे पढ़ाते थे।
देर-रात जगकर भी, थप-थपाकर मुझे सुलाते थे,
सोती ना थी जब तक मैं, कहानी मुझे सुनाते थे।
बिना कहे हर बात मेरी, हर खामोशी वो भा जाते थे,
वो बचपन की यादें सोच, मन मेरा भर आता है।
कांधे पर रख हाथ मेरे, एक आवाज कहीं से आती है,
मैं पास नहीं तो क्या तेरे, पर साथ हमेशा मेरा है।।

कम होते थे पैसे लेकिन, हर चीज हमें मिल जाती थी,
होती चिंता कोई मन में तो, वो खुद पर ही सह जाते थे।
होंठों पर रख मुस्कान हमेशा, परेशानी अपनी छिपा जाते थे,
वो बचपन की यादें सोच, मन मेरा भर आता है।
कांधे पर रख हाथ मेरे, एक आवाज कहीं से आती है,
मैं पास नहीं तो क्या तेरे, पर साथ हमेशा मेरा है।।

ना जाने कब, कैसे, ये वक्त गुजर गया,
हाथ थाम जिसका चलना सीखा, वो हाथ कहाँ छूट गया।
सबके मन को देकर गम, इस जग से नाता तोड़ गये,
अपने पीछे कितने अपनों को बेसहारा बनाकर छोड़ गये।
घर के हर कोने में वे याद अपनी पुरानी छोड़ गये,
दिल में सिमटी इन यादों संग ये वक्त तो गुजर जाएगा,
पिता आपकी इस कमी को, कभी कोई न भर पाएगा।

* कंप्यूटर ऑपरेटर, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

-डॉ. सम्पूर्णानन्द

हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।

-मौलाना हसरत मोहानी

खुशहाल भारत की ओर बढ़ते कदम

राजेश कुमार कर्ण*



भारत को आर्थिक प्रगति के उच्च सोपान तक ले जाने के लिए हमें दीर्घकालीन एजेंडा बनाना होगा। यह आवश्यक है कि हम 25 साल के विजन पर आगे बढ़ें। इस बीच हमें अपने समक्ष कायम चुनौतियों पर बिंदुवार विचार करना होगा। पिछले वर्ष बजट में एलान हुआ था कि सरकार

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी, क्योंकि हमारी 57 प्रतिशत आबादी दो वक्त के भोजन का प्रबंध नहीं कर सकती। हमारे पास 'मेक इन इंडिया' उत्पादों की खरीदारी करने वाले एक मध्यम वर्ग का अभाव है। इसलिए हमें इन उत्पादों का एक ग्राहक वर्ग बनाकर देश को 2030 तक मध्यम आय वर्ग वाली श्रेणी और 2047 तक विकसित राष्ट्रों की कतार में लाने के लिए प्रयास करने होंगे।

लोक नीति विश्लेषक श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता के अनुसार बढ़ता कर्ज का बोझ भी चिंतित करने वाला है। 2020 में भारत का राष्ट्रीय ऋण 2.35 ट्रिलियन डॉलर था जिसके 2026 तक बढ़कर 4.43 ट्रिलियन डॉलर होने के आसार हैं। यानी 2027 तक हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनें या न बनें किंतु पांच ट्रिलियन डॉलर के कर्जदार बन जाएंगे। राष्ट्रीय ऋण में दोगुनी बढ़ोतरी के रुझान के बावजूद आर्थिक वृद्धि में उस अनुपात में तेजी नहीं आ रही है। 2019 से ही हमारी प्रति व्यक्ति अनुमानित (नामिनल) जीडीपी में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह स्पष्ट संकेत करता है कि हमें अपने आर्थिक मॉडल का पुनर्गठन करना होगा। राजकोषीय घाटा विकट चुनौती है।

देश में अवसरों को लेकर भी बहस हो रही है। पिछले सात वर्षों के दौरान 8.5 लाख भारतीय देश से बाहर जा चुके हैं। हम सरदार पटेल के उस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, "स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। न्याय पाना न तो मुश्किल होगा और न ही महंगा।"

बाहरी मोर्चे पर एक ओर जहां हम विस्तारवादी चीन से घिरे हैं तो दूसरी ओर आतंक के गढ़ पाकिस्तान से। इसलिए हमें सदैव युद्ध के खतरे का सामना करने के लिए तत्पर रहना होगा। इसलिए सामरिक ढांचे में उस स्तर का निवेश आवश्यक होगा कि कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस न करे।

उद्योगीकरण भी हमारी नीतियों के केंद्र में रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने पीएसयू, औद्योगिक घराने और विश्वस्तरीय आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान

गढ़े। वहीं देश में समग्र विकास की संभावनाओं के अभाव में लोग यहां पढ़-लिखकर विकसित देशों का रुख करते हैं। भारत के पास जनसांख्यिकीय अवसर अवश्य हैं, किंतु इसमें लाभ की स्थिति नहीं दिखती, क्योंकि इसके लिए हमने कभी निवेश ही नहीं किया। श्रम उत्पादकता के पैमाने पर भारत आसियान देशों में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में उत्पादकता और समग्र प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए भारी-भरकम निवेश करना होगा।

अपने सपनों का भारत बनाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे बड़ी कंपनियों के एक छोटे समूह के बजाय छोटी-छोटी कंपनियों का एक बड़ा समूह बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वितरण पर आधारित वृद्धि के मॉडल जैसी पहल के साथ ही एक रोजगार एजेंसी की स्थापना करनी होगी, जो एक क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं वहां संभावनाशील उद्यमों का आकलन कर सके। मेट्रो शहरों के बाहर निवेश बढ़ाकर स्मार्ट, इन्वेस्टिव, ग्रीन एवं व्यावहारिक आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जाए। संस्कृति, पर्यटन और रचनात्मक उद्योगों में भी निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि वे युवाओं के लिए रोजगार के सबसे बड़े सृजक बने हुए हैं। भविष्य में पारंपरिक विश्वविद्यालयों का वजूद सिमटता जाएगा तो हमें हाइब्रिड और डिजिटल विश्वविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जहां जॉब-इंटरशिप मॉडल लागू रहे। देश को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने और दुनिया के सबसे नवप्रवर्तनकारी राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए शोध एवं विकास यानी आरएंडडी में जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर निवेश करना होगा। इसके लिए अलग से 'नवाचार मंत्रालय' के गठन पर विचार किया जा सकता है। बेतरतीब विनिवेश और परिसंपत्तियों की बिक्री से भविष्य के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। इसलिए सभी पीएसयू होल्डिंग्स, भूमि बैंक और अन्य सार्वजनिक संपदा को सावरिन वेल्थ फंड में हस्तांतरित किया जाए। दीर्घकालीन पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे प्रतिफल प्रदान करने का जिम्मा दिया जाए।

हम चाहते हैं कि आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसे हों, जिन्हें खर्च करके वह ऊंची वृद्धि को रफ्तार दे। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम करों की दरें कम करें और करों का दायरा बढ़ाएं। प्रति वर्ष 1.2 करोड़ रोजगार सृजन के लिए हमें 3.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश या 16 प्रतिशत वृद्धि की दरकार होगी। हमें अगले 25 वर्षों के लिए 'मिशन 25 करोड़ हाउसहोल्ड' बनाकर सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक परिवार को नौकरी या उद्यमिता का अवसर मिले।

* आशुलिपिक ग्रेड-II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

शहरों में बेहतरीन पर्यावरण अनुकूल परिवहन ढांचा विकसित करते हुए हमें यह भी देखना होगा कि इस कारण कहीं कर्ज का बेहताशा बोझ न बढ़ जाए।

केवल शेयर बाजार को गुलजार करने वाली नीतियों के बजाय भारतीय बाजार के 'शेयर' यानी उसके विस्तार पर ध्यान देना होगा। साथ ही जो योजनाएं बनाई जाएं, उनकी तिमाही स्तर पर गहन समीक्षा भी करनी होगी। यदि यह सब संभव हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब देश पूरी तरह खुशहाल हो जाएगा और उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर एवं संभावनाओं की भरमार होगी।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव से लेकर बच्चों के टीकाकरण और शिशु जन्म दर में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

आज पूरी दुनिया भारत के योग, दर्शन, आध्यात्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है। हमारी नई पीढ़ी में भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने की नई जागरूकता आई है। इससे भारत के पर्यटन के विभिन्न आयामों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। भारत को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में देश का नेतृत्व ब्रांड एंबेसडर के तौर पर देश-दुनिया को न केवल आकर्षित कर रहा है, बल्कि इस क्षेत्र की संभावनाओं को आकार देने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्राचीन गौरव को भी पुनर्जीवित कर रहा है। ऐसी ही सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन को मिल रहा है। उड़ान योजना के जरिए छोटे-छोटे शहरों को जोड़ने की पहल हो या सड़कों का जाल बिछाने की तेज गति, प्रशाद, स्वदेश दर्शन जैसी योजना, हेरीटेज स्थलों का विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति, भारतीय पर्यटन को नया आयाम दे रहा है। विश्व पर्यटन रैंकिंग में भारत 2013 के 65वें स्थान के मुकाबले 34वें स्थान पर आ गया है और इसमें प्रगति की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पर्यटकों के लिहाज से सुविधाओं का विकास, ई-वीजा की शुरुआत, शहरों-गांवों को सुंदर बनाने की पहल, पर्यटन के जरिए देश का सामान्य जन न केवल खुद को जोड़ रहा है, बल्कि खुद को आगे बढ़ा भी रहा है। कनेक्टिविटी-हॉस्पिटैलिटी-फैसिलिटी से पर्यटन क्षेत्र समावेशी समृद्धि का सूचक बन रहा है।

साथ ही, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पहल- बेंटी बचाओ, बेंटी पढ़ाओ योजना ने लैंगिक अनुपात में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है और पहली बार भारत में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। बेंटी ईश्वर का अनमोल उपहार है। लेकिन यह विडंबना ही थी कि 1961 से लेकर 2011 तक जनगणना में हर बार बेटियों की संख्या बेटों से कम रही। देश के कई राज्य ऐसे थे, जो बेटियों को कोख में ही मार देने के लिए बदनाम थे। जरूरत थी एक राष्ट्रीय चेतना और संकल्प की, जिसकी शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को 'बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ' के रूप में। सात साल पूरे कर रहे 'बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ' अभियान के इस

संकल्प का ही नतीजा है कि हाल में सामने आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार अब भारत में पहली बार पुरुष-महिला लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 1020 हो गया है। बेशक हम बेटियों को अपने परिवार का गर्व मानें, राष्ट्र का सम्मान मानें। बेटा और बेंटी, दोनों वो पंख हैं, जिनके बिना जीवन की ऊंचाइयों को पाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ऊंची उड़ान भरनी है तो सपनों को बेटे और बेंटी, दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे।

1961 में बाल लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) प्रति 1000 बालकों पर 976 बालिकाएं था तो 2011 में यह घटकर 918 पहुंच गया। इसकी जड़ में थे सभी भारतीय समुदायों में प्रबल सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, लड़के की चाहत और लड़कियों के प्रति भेदभाव। नतीजा "यत्र नार्यस्तुपूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता", की परंपरा वाले देश में बेटियों को कोख में ही मार देने, उन्हें दूध के बर्तन में डुबो कर मार देने, लावारिश छोड़ देने की खबरें सामने आती थीं। बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लोगों की मानसिकता में सुधार लाना है, वहीं सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है जिससे बेटियों को बोझ न समझा जाए और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

माताओं-बहनों-बेटियों का जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेंटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल, सिर्फ परिवार ही नहीं समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में लगातार पहल की है। स्कूल-कॉलेज के बाद करियर से लेकर घर-गृहस्थी तक भी महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से महिलाओं के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है।

यह अच्छी बात है कि भारतीय महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, क्योंकि वे सामाजिक व्यवस्था में गहरी पैठ जमाए पितृसत्तात्मक विचारधारा से धीरे-धीरे बाहर आ रही हैं। महिला सशक्तिकरण एक शब्द मात्र नहीं अपितु अवधारणा है जिसके मुख्य घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता का विकास है। सशक्तिकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक आर्थिक सुदृढीकरण है क्योंकि यह निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। आर्थिक सुदृढता की वृहद अवधारणा में स्वरोजगार, कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा भूमि एवं संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। महिला का भूमि और संपत्ति पर अधिकार लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है जो अंततः विकास की ओर ले जाता है। अध्ययन

बताते हैं कि जिन महिलाओं के नाम संपत्ति होती है वे न केवल घरेलू निर्णयों में भागीदार होती हैं, बल्कि उन महिलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत घरेलू हिंसा का शिकार कम होती हैं जिनके नाम संपत्ति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में महिलाओं के स्वयं के नाम बैंक खातों की संख्या 25 प्रतिशत बढ़ी है। बेशक, महिलाएं अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, उत्पादक, कर्मचारी और उद्यमियों का स्थान ग्रहण कर रही हैं। पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, वित्त-व्यवसाय आदि क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। यही सशक्त भारत की वह तस्वीर है जिसकी स्वीकृति नवीन आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखेगी।

वर्ष 2014 से पहले देश में शहरों की साफ-सफाई को लेकर अक्सर नकारात्मक चर्चाएं ही सुनने को मिलती थीं। गंदगी को शहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ-सफाई के प्रति बेरुखी से शहरों की सुंदरता, शहरों में आने वाले पर्यटकों पर तो असर पड़ता ही है, शहरों में रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत बड़ा संकट है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के तहत बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। देश में सात साल पहले तक जहां सिर्फ 18 प्रतिशत कचरे का ही निष्पादन हो पाता था, वो आज बढ़कर 70 प्रतिशत हो चुका है। अब स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत शहरों में खड़े कूड़े के पहाड़ों को हटाने का भी अभियान शुरू कर दिया गया है। शहरों की भव्यता बढ़ाने में एलईडी लाइट ने एक और अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने अभियान चलाकर देश में 90 लाख से ज्यादा पुरानी स्ट्रीट लाइट को एलईडी से बदला है। आजादी के इस 75वें साल में देश ने 'सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास के साथ' सबका प्रयास' का आह्वान भी किया है। सबका प्रयास की ये भावना, स्वच्छता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। स्वच्छता से सुख और पर्यटन का गहरा संबंध होता है।

परंपरा और पर्यटन, ये दो ऐसे विषय हैं जिनका भारतीय विरासतों, भावनाओं और पहचान से सीधा जुड़ाव है। केंद्र सरकार का सदैव ये प्रयास रहा है कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने नए रंग-रूप में रखे, ताकि भारत दुनिया में हैरिटेज टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनकर उभरे। इसी भावना के साथ ऐतिहासिक इमारतों का पुनरुद्धार कर फिर से आकर्षक बनाया जा रहा है। बीते सात वर्षों में 10 नए स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा मिलना यह बताता है कि पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर भारत सरकार कितनी गंभीर है।

भारत की प्रगति में स्टार्टअप किस तरह से यूनिकॉर्न का स्वरूप ले रहा है और राष्ट्र की प्रगति में युवा सपनों को नई उड़ान मिल रही है।

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां औसत 35 साल की उम्र वाली आबादी की संख्या करीब 65 फीसदी है। जरूरत है तो इन युवा सपनों को सही रास्ता दिखाने

की। इसी सोच और जज्बे से सही मंजिल मिली 15 अगस्त 2015 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'स्टार्टअप इंडिया' की घोषणा की। इसके बाद 16 जनवरी 2016 को औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा सपना है, देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने।" आज 60 हजार से अधिक स्टार्टअप के साथ 75 से अधिक यूनिकॉर्न 'स्टार्टअप इंडिया' की सफलता की कहानी खुद ब खुद बयान कर रहे हैं।

सुख-सुविधाओं के चलते शहर सदा से आकर्षण के केंद्र रहे हैं। दुर्भाग्यवश सुविधाओं के मामले में गांवों और शहरों के बीच की खाई बढ़ती गई। इस मामले में मोदी सरकार अलग साबित हुई। इस सरकार ने सात वर्षों में देश के लाखों गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया है। मोदी सरकार ने सबसे अधिक सुधार बिजली के क्षेत्र में किया है। सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के बाद सरकार 24 घंटे-सातों दिन बिजली आपूर्ति की दिशा में काम कर रही है। भारत नेट परियोजना के तहत हर गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए 5.46 लाख किमी लंबी ऑप्टिकल फाइबर यानी ओएफसी केबल बिछाई जा चुकी है। देश की सभी ढाई लाख पंचायतों तक ओएफसी पहुंचाने का काम हो चुका है। अब इंटरनेट सुविधा को ग्राम पंचायतों से घरों तक ले जाने का काम हो रहा है। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसी का नतीजा है कि आज देश में 125 करोड़ से अधिक टेलीफोन-मोबाइल कनेक्शन हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से उन लोगों तक ई सेवाएं पहुंचा रही हैं, जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं। इससे ग्रामीणों की खतौनी, पासपोर्ट, पैनकार्ड, वृद्ध एवं विधवा पेंशन जैसी जरूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो रही हैं। मोदी सरकार पिछले सात वर्षों में 1.6 करोड़ आवास तैयार कर लाभार्थियों को सौंप चुकी हैं। 2022-23 में 80 लाख गरीबों को घर देने की योजना है। गांवों को उच्च गुणवत्ता युक्त संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं। देश के लाखों गांवों को उत्पादक केंद्र बनाने के दूरगामी योजना पर भी काम हो रहा है। एक जिला-एक उत्पाद जैसी योजनाओं के जरिये देश के लाखों गांव उत्पादन की धुरी बनेंगे। गांवों में रोजगार की कमी की समस्या के समाधान के लिए शुरुआत हुई दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम की। 2016 में शुरु स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के जरिए जहां अब तक 1 लाख 78 हजार से अधिक ग्रामीण उद्योगों को सहायता दी जा चुकी है तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत से 15 दिसंबर 2021 तक 73.5 लाख स्वसहायता समूहों में 8.04 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है।

आजादी की अमृत यात्रा में हम जब वर्ष 2047 में भारत कैसा हो, यह विजन लेकर चल रहे हैं तो देश के युवाओं की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीते 7 वर्ष में हमने जिस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आधारित डिजिटल इंडिया की झलक देखी है, आने वाले 25 सालों में वो किस मुकाम पर होगा यह इसी पीढ़ी पर निर्भर है। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, पचास हजार से अधिक स्टार्ट-अप हैं। इनमें से दस हजार स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। कितने स्टार्टअप्स तो हमारी विभिन्न आईआईटी के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए हैं। अटल इनोवेशन मिशन, और पीएम रिसर्च फेलोशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा गया, पॉलिसी ब्लॉकज दूर किए गए, इन प्रयासों के परिणाम इतने कम समय में आज हमारे सामने हैं।

आत्मनिर्भर भारत, पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बनें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था— यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सफलता में हमारे पसीने की महक होगी, हमारे परिश्रम की पहचान होगी।

संसद के दोनों सदनों ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे अहम है आधार नंबर से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराने का विकल्प। हालांकि यह स्वैच्छिक है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में भविष्य में होने वाले चुनावों में यह अहम हो सकता है। इससे न केवल फर्जी कार्डों पर रोक लग सकेगी, बल्कि फर्जी मतदान भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा फर्जी वोटर आईडी के जरिये कई तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। फर्जी वोटर आईडी की मदद से आज धड़ल्ले से मोबाइल कनेक्शन लिए जा रहे हैं और राशन कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं। साथ ही कई तरह की अन्य सरकारी सुविधाएं भी ली जा रही हैं। इससे चुनावों में धांधली की गुंजाइश कम होगी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित भारत की प्राण-प्रतिष्ठा अब दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में और सशक्त होगी।

यह सच है कि दुनिया कोरोना के खिलाफ अपनी जंग अभी जीत नहीं पाई है किंतु हमने उसका मुकाबला बेहतरीन ढंग से किया है। वायरस बार-बार रूप बदल रहा है तो हम भी उससे निपटने के नए-नए तरीके खोज और अपना रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर उब्ल्यूएचओ ने यह उम्मीद जाहिर की है कि संभवतः वर्ष 2022 कोरोना के तीक्ष्ण दौर का अंत साबित होगा। यहां यह भी दोहराने की जरूरत है कि वायरस के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमें इकोनॉमिक रिकवरी का भी ध्यान रखना होगा ताकि एक मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए हम दूसरे अहम मोर्चे पर पीछे न रह जाएं। हमें पाकिस्तान और चीन जैसे दो मोर्चों पर चुनौती मिलती रही है। उनसे निपटने के लिए हमारा एक सैन्य महाशक्ति बनना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है और सैन्य महाशक्ति बनने का रास्ता आर्थिक ताकत से ही निकलता है। अर्थशास्त्री डॉ. जयंतिलाल भंडारी ने ठीक ही लिखा है कि हमें आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी रणनीति बनानी होगी। पहला काम यह करना होगा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाकर उसे आर्थिक मजबूती का आधार बनाया जाए। दूसरा, दुनिया का नया मैन्यूफैक्चरिंग गढ़ बनकर विनिर्माण निर्यात बढ़ाने होंगे। तीसरा, उद्योग-कारोबार को और सुगम बनाकर अधिक एफडीआई आकर्षित करना होगा। चौथा, आईटी आउटसोर्सिंग से विदेशी आय अर्जन बढ़ाकर उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी होगी। वर्तमान में कृषि क्षेत्र से मिल रहे संकेत उत्साहजनक हैं। 2021-22 में देश में खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 31.60 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। सभी प्रमुख फसलों के एमएसपी में उत्साहजनक वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से जनवरी 2022 तक 11.30 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद, कृषि क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा और अन्य विकास योजनाओं से कृषि उत्पादन में ऐसा रुझान संभव हुआ है। रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन न केवल देश को आर्थिक शक्ति बनाने बल्कि महंगाई को थामने में भी मददगार होगा। वैश्विक आपूर्ति पर भी हमारी पकड़ मजबूत होगी।

वैश्विक सामरिक परिदृश्य में आ रहे परिवर्तन को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया अभियान की अहमियत और बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में जहां रक्षा सामग्री के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं रक्षा खरीद में गड़बड़ी का सिलसिला बंद हुआ है। इसके बावजूद आवश्यकता बनी हुई है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करे। हमारा लक्ष्य हर तरह के हथियारों और उपकरणों का निर्माण देश में ही करने का होना चाहिए। वैसे तो आदर्श स्थिति यह है कि भारत हथियारों की होड़ से बचे, लेकिन जब तक पाकिस्तान और चीन के रुख-रवैये में बदलाव नहीं आता, तब तक हमें अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर सजग रहना ही होगा। चूंकि वैश्विक राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, इसलिए भारत को अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, ताकि

भविष्य में अपने हित की रक्षा के लिए किसी और का मुंह न ताकना पड़े। यह ठीक है कि भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया क्वाड के जरिए चीन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक बेलगाम ही दिख रहा है। चीन एक अर्से से अपने विस्तारवादी इरादे प्रकट कर रहा है। वह न केवल लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा जताता है।

अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना बेहद जरूरी है। इसकी कड़ियां विनिर्माण क्षेत्र से भी जुड़ती हैं। भारत के वैश्विक मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की संभावनाओं को साकार करने के लिए इलेक्ट्रिकल, फार्मा, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर उपकरण, लेदर प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और टेक्सटाइल अहम हैं। चालू वित्त वर्ष में भारत 400 अरब डालर के रिकार्ड निर्यात लक्ष्य हासिल करने के मुकाम पर पहुंच गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और छूट योजना के विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण मुद्दों को हल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2030 तक 1000 अरब डालर की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकता है। एक ताकतवर आर्थिक भारत के निर्माण के लिए उद्योग-कारोबार की अधिक सुगमता भी जरूरी होगी। पिछले सात वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु अभी कई बाधाएं दूर करना शेष है।

हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में नई बीमारियों के फैलने और अगली महामारी के उभरने की आशंका बढ़ती जाती है। ऐसा होने के कई कारण हैं। वनों की कटाई और जंगलों में बढ़ते इंसानी दखल के कारण नए-नए रोगाणु हमारे संपर्क में आने लगे हैं। रोगाणु वैश्विक गरमी और बढ़ते तापमान के कारण नई परिस्थितियों और जगहों में भी ढलने लगे हैं। हवाई यात्राओं के कारण कुछ ही घंटों में संक्रमण का प्रसार दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होने लगा है। इन सबमें शहरों में बढ़ती भीड़ और सघन बसावट भी कमजोरी साबित होती है। श्री चंद्रकांत लहारिया, जन नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ के अनुसार लोगों की सेहत चरम मौसमी घटनाओं, भूमि क्षरण और सूखे के कारण होने वाले विस्थापन से भी प्रभावित हो रही है। न सिर्फ सागरों की गहराइयों में प्रदूषक और प्लास्टिक मिलने लगे हैं, बल्कि पर्वतों के ऊंचे शिखर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इन्होंने हमारी खाद्य श्रृंखला में सेंध लगा दी है। अत्यधिक प्रसंस्कृत उत्पाद और 'जंक' कहे जाने वाले खाद्य व पेय पदार्थ हमें मोटापे की सौगात दे रहे हैं, जिससे कैंसर और हृदयाघात जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। वायु प्रदूषण तो फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और मस्तिष्काघात के कारण लोगों की जान ले रहा है।

अगर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को पर्यावरण-हितैषी बनाया जाए, तो हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है। सीवेज, अवशिष्ट पदार्थ और जहरीले रसायनों को हमारी झीलों, नदियों और भूजल में प्रवेश करने से रोक कर हम अपने जल स्रोतों की रक्षा कर सकते हैं।

मानव, पशु और स्वच्छ आबोहवा परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी के कारण पिछले दशक में 'एक स्वास्थ्य' की सोच उभरी है। इस अंतर्संबंध का सबसे बड़ा एवं ज्वलंत प्रमाण तो कोरोना महामारी है जिसने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है। मौजूदा कोरोना महामारी ने सतत स्वास्थ्य की जरूरत बताई है, इसलिए पर्यावरण से छेड़छाड़ किए बिना अपनी व अगली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध होना आज की बड़ी जरूरत है।

निश्चय ही, हम सब मिलकर इनमें से कई चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अगली महामारी को आगे धकेल सकते हैं। श्रीमती पूनम के. सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जिसमें सभी के लिए स्वच्छ हवा, पानी और भोजन उपलब्ध हो, हमें खासतौर से पांच प्राथमिकताओं पर काम करना चाहिए। यह ऐसा समाज बनाने के लिए भी आवश्यक है जिसमें आर्थिक नीतियां शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, जहां शहर रहने योग्य हों और लोगों की सेहत बेहतर बने। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, मानव स्वास्थ्य के स्रोत यानी प्रकृति की रक्षा एवं संरक्षण। ऐसी नीतियां चाहिए, जो वनों की कटाई को कम करने, वनीकरण को बढ़ावा देने और गहन व प्रदूषणकारी कृषि कार्यों को खत्म करने में मददगार हों, जो हमारी आबोहवा सुधार सकती हों, खाद्य प्रणालियों को मजबूत बना सकती हों और टिकाऊ कृषि व वन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकती हों। दूसरी प्राथमिकता, स्वास्थ्य केंद्रों पर पानी व स्वच्छता से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक तमाम जरूरी सेवाओं में निवेश करने की है। बहुक्षेत्रीय जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करके और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों व योजनाओं में पानी, साफ-सफाई व स्वच्छता को शामिल करके हम स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरी प्राथमिकता, लोगों को तीव्र व स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा की तरफ उन्मुख करना है। वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन है। ऐसे ईंधन जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ाते हैं। भारत ने बेशक अक्षय ऊर्जा के विस्तार में सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें और तेजी लाने की दरकार है। चौथी प्राथमिकता है, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना। भोजन के अभाव या बीमार करने व उच्च कैलोरी वाले आहार से गैर-संचारी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। पांचवी प्राथमिकता है, स्वस्थ व रहने योग्य शहरों का निर्माण। अपनी धरती, सेहत और भविष्य की रक्षा के लिए हमें अभी से मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार ने बाजार के विस्तार की परिस्थिति बनाने की दिशा में काम करने के साथ-साथ अपनी कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को भी बढ़ाया। उज्ज्वला, डायरेक्ट केश ट्रांसफर योजना, विभिन्न

पेंशन योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना, किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। देश पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बावजूद गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब एवं अति गरीब सामाजिक समूहों के लिए एक प्रकार से जीवनधारा की तरह साबित हो रही हैं। सामाजिक समूहों में उद्यमिता का विकास कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश करनी होगी और सरकार उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार सृजन के अनेक प्रयासों के जरिए इस दिशा में काम भी कर रही है।

योजनाओं की डिलीवरी का सिस्टम बेहतर हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ने गरीबों की जेब पर इलाज और दवाइयों के भारी-भरकम बोझ को कम किया है। 17 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड आज उस गरीब और वंचित तबके का संबल बने हैं, जिनके सामने अक्सर यह प्रश्न खड़ा रहता था कि अगर बीमार पड़ गए तो इलाज का पैसा कहाँ से आएगा? आयुष्मान भारत ने राज्यों की योजनाओं के साथ मिलकर तकरीबन 70 करोड़ लोगों को कवर किया है। वैश्विक महामारी के बीच लगभग 3.28 करोड़ लोगों को उपचार प्रदान किया गया जिस पर 37000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया। अपने नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 2017 में अपनाया था। स्वास्थ्य पर भारी खर्च के बोझ से आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही थी। इस खर्च को कम करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। इसी पृष्ठभूमि में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की परिकल्पना की गई। इसका लक्ष्य आमजन तक किफायती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था। अपने इस उद्देश्य में सफल होकर आयुष्मान भारत ने नई उम्मीद जगाई है।

सबको पक्का मकान मिले, इस दिशा में जाति-मजहब से हटकर सभी वर्गों तक मोदी सरकार ने क्रांतिकारी पहल की। आज पीएम आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन देश के विकास को नई गति दे रहा है। आजादी के 70 वर्षों में देश के सिर्फ तीन करोड़ घरों में नल कनेक्शन था, इससे दोगुने से ज्यादा कनेक्शन सिर्फ तीन वर्षों में ही लगाए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने पिछले चार वर्षों में ही 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में सीधे पौने दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाकर अन्नदाताओं को सम्मान और सहारा दिया है। छात्रवृत्ति से लेकर स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं ने समाज के वंचित वर्गों के छात्रों और महिलाओं को एक नई पहचान दी है। अब तक 1.34 लाख लोग स्टैंडअप इंडिया योजना का लाभ उठा चुके हैं जिसमें 81 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। यह उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार सृजन का उदाहरण बनकर

उभरी है। मुद्रा योजना के जरिए अब तक 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं, 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग और वंचित समाज के लोग हैं।

कोविड के वक्त जब रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर संकट आया तो पीएम स्वनिधि योजना ने उन्हें सहारा दिया। इसका लाभ लेने वालों में 41 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है तो पिछड़े वर्ग के 51 और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 22 प्रतिशत लोग इसके लाभार्थियों में शामिल हैं। कोविड काल में लगभग दो सौ करोड़ वैकसीन की डोज लगाने के आंकड़े तक पहुंचता भारत आज दुनिया में अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है और गरीब से गरीब व्यक्ति तक मुफ्त सुरक्षा कवच पहुंचा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीबों को बड़ा सहारा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक कार्य पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने लाकडाउन के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। किसानों को दी जा रही पीएम सम्मान निधि, विभिन्न कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष-प्रतिवर्ष रिकार्ड ऊंचाई बनाते हुए दिखाई दे रही है। अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी से न केवल करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाया जा सका बल्कि इस समय दुनिया की तुलना में देश में महंगाई भी कम है। यदि विश्व व्यापार संगठन अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है। विश्व बैंक ने भी माना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 में जो गरीबी 26.3 प्रतिशत थी वह 2019 में घटकर 11.6 प्रतिशत रह गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी 7.9 प्रतिशत घटी।

वर्ष 2013 तक 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी बैंकिंग सिस्टम से दूर थी, लेकिन जनधन जैसी योजना से आज हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने लगा है और किसी तरह के भ्रष्टाचार के बिना केंद्र सरकार की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उठाने में समर्थ हुआ है। स्वच्छता अभियान हो या पोषण का मिशन, अब यह आंदोलन बन चुका है। आज ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' ही आधार स्तंभ है।

कुल मिलाकर सरकार सभी मोर्चों पर कदम उठाकर अपनी आर्थिक हैसियत बढ़ाकर देश को सैन्य रूप से सशक्त बनाने की हरसंभव कोशिश करे, ताकि किसी भी आशंकित दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसमें हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हम सभी मिलकर अपने प्यारे देश की सेहत, समृद्धि और शक्ति में वृद्धि को लेकर दिल से संकल्प लें और फिर से इसे सोने की चिड़िया बनाने का वचन देते हुए खुद को देश के लिए समर्पित करें।



हार की जीत

सुदर्शन*

माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवद्-भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे 'सुल्तान' कह कर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख-देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब-कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गाँव से बाहर एक छोटे-से मन्दिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। 'मैं सुलतान के बिना नहीं रह सकूँगा,' उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, 'ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो।' जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर आठ - दस मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता।

खड़गसिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। होते - होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, 'खड़गसिंह, क्या हाल है?'

खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, 'आपकी दया है।'

'कहो, इधर कैसे आ गए?'

'सुलतान की चाह खींच लाई।'

'विचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे।'

'मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है।'

'उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी!'

'कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है।'

'क्या कहना! जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है।'

'बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ।'

बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परन्तु ऐसा बाँका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात् उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की - सी अधीरता से बोला, 'परंतु बाबाजी, इसकी चाल न देखी तो क्या?'

दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु-वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़गसिंह के हृदय पर साँप लोट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते-जाते उसने कहा, 'बाबाजी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा।'

बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, 'ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना।'

आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, 'क्यों तुम्हें क्या कष्ट है?'

* प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, 'बाबा, मैं दुखियारा हूँ। मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से तीन मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा।'

'वहाँ तुम्हारा कौन है?'

'दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ।'

बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका-सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात् कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, 'जरा ठहर जाओ।'

खड़गसिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, 'बाबाजी, यह घोड़ा अब न दूँगा।'

'परंतु एक बात सुनते जाओ।' खड़गसिंह ठहर गया।

बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा। परंतु खड़गसिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ। इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा।'

'बाबाजी, आज्ञा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूँगा।'


'अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।'

खड़गसिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछा, 'बाबाजी, इसमें आपको क्या डर है?'

सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, 'लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन-दुखियों पर विश्वास न करेंगे।' यह कहते-कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो।

बाबा भारती चले गए। परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूँज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊँचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है! उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, 'इसके बिना मैं रह न सकूँगा।' इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन-भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह खयाल था कि कहीं लोग दीन-दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है।

रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर पहुँचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़गसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे-धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बाँध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आँखों में नेकी के आँसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात् इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन-मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुँह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, 'अब कोई दीन-दुखियों से मुँह न मोड़ेगा।'




राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने बुधवार, 24 नवंबर 2021 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों के लिए 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया। संस्थान की ओर से श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी ने मंचासीन अतिथियों श्री राकेश कुमार, निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार और श्री अरविन्द कुमार, सदस्य सचिव, नराकास, नौएडा तथा सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और संस्थान द्वारा राजभाषा हिन्दी में किये जा रहे कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी। तत्पश्चात श्री अरविन्द कुमार ने नराकास, नौएडा की विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया।



राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए विगत कुछ वर्षों के दौरान नराकास, नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री बीरेन्द्र सिंह रावत ने अतिथि वक्ता श्री राकेश कुमार से आगे की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया। श्री राकेश कुमार ने इस संगोष्ठी को सहभागी बनाते हुए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया। इस संगोष्ठी में नराकास, नौएडा के 20 सदस्य कार्यालयों के 32 राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों ने भाग लिया।





वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा-201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in